<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 7/03/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 16 जुलाई, 2023

<u>अधिसूचना</u>

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>मामला सं. एडी (एसएसआर)-02/2023</u>

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अंतिम जांच परिणाम- निर्णायक समीक्षा जांच।

फा.सं. 07/03/2023-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995, (जिसे आगे ''नियमावली'' अथवा ''एडी नियमावली'' भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी भी कहा गया है'') को मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जय श्री टेक्सटाइल्स) और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें आगे ''आवेदक'' अथवा ''घरेलू उद्योग'' भी कहा गया है) द्वारा चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" (जिन्हें आगे ''संबद्ध वस्तु अथवा '''पीयूसी'' भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक आवेदन प्राप्त हुआ ।

क. <u>**मामले की पृष्ठभूमि**</u>

1. चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की शुरूआत दिनांक 07.02.2018 की अधिसूचना सं. फा.नं. 6/3/2018-डीजीएडी द्वारा की गई थी। प्राधिकारी ने 18.09.2018 के अपने अंतिम जांच परिणाम के द्वारा चीन जन.गण. से "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की । । इन सिफारिशों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क दिनांक 18.10.2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 53/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के द्वारा लगाया गया था । उक्त शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए गए थे ।
2. पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के संबंध में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में निरस्त नहीं किया गया हो, इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि के 5 वर्षों के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा । प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है ।
3. इसके अलावा, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैः

   "किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

4. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि पूरे इस तथ्य के संबंध में कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर समीक्षा करें ।
5. घरेलू उद्योग की ओर से तथा इस नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार दायर किए गए पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत पुष्टिकृत आवेदन को देखते

हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगातार अधिरोपित किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस तथ्य की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. 07/03/2023-डीजीटीआर के द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की ।

6. वर्तमान समीक्षा के कार्य क्षेत्र में दिनांक 18 सितंबर, 2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं.6/3/2018-डीजीएडी, जिसे दिनांक 18.10.2018 की अधिसूचना सं. 53/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के द्वारा लागू किया गया था, जारी किए गए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पूर्व जांच के सभी पहलू शामिल हैं ।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

7. यहां नीचे वही प्रक्रिया का अनुकरण संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है :

   i. प्राधिकारी ने इस जांच की शुरूआत करने की कार्रवाई करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया ।

   ii. प्राधिकारी ने चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में अंतिम निर्णायक पाटनरोधी जांच समीक्षा की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च 2023 को एक आम सूचना जारी की ।

   iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी ।

   iv. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा दूतावास को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई ।

   v. जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना में, प्राधिकारी ने निष्पक्ष तुलना करने के उद्देश्य से हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां मंगाई थी । हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी और

इसके बाद, दिनांक 29 मई, 2023 के पत्र के द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अंतिम निर्णय लिए गए पी सी एन पद्धति के अनुसार अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें ।

vi. हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराएं और इस नियमावली के नियम 6(2) तथा 6(4) के अनुसार निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं ।

vii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें । उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ दूतावास को भेजी गई थी ।

viii. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:

क. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

ख. हेइलोंगजियांग यानशोउ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

ग. गुआंगडन, चीन जन. गण.की नानहाई टेक्सटाइल्स आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड

घ. जियामुसी सान्हे लिनन टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

ड. जियांग्सू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

च. निंगबो विन वे कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

छ. हुज़ौ ए जियांग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,

ज. चांगझौ मेइयुआन फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी, चीन जन. गण.

झ. हुझोउ गोल्डरिच लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

ञ. टोंगलिंग वर्ल्डबेस्ट लिनन एंड रेमी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,

ट. हांग्जो शांगलू सिल्क कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

ठ. तुंग गा लिनन एंड कॉटन (चांगझौ) कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,

ड. यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,

ढ. हेइलोंगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,

ण. सूझोऊ ज़िनशेन लिनेन इम्प एंड एक्सप. कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

त. कुशान डेलिक्सी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

थ. दि ल्यूरेक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

द. हुआरेन लिनन (एचके) कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

ध. टोंगज़ियांग जिएका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

न. ग्रेट ईस्टर्न टेक्सटाइल्स (टोंगलिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

प. झेजियांग एक्सियांग फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

फ. झेजियांग गोल्डन ईगल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

ब. झेजियांग गोल्डन ईगल स्पन सिल्क कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

भ. झेजियांग गोल्डन ईगल यिली लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

म. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

य. झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, जन. गण.

ix. उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

क. झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन गण.

ख. हेइलोंगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन गण.

ग. जियांग्सू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन गण.

घ. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन गण.

ड. हेइलोंगजियांग यान्शौ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन गण.

च. यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन गण.

x. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी :

क. टेक्सवेंचर्स एलएलपी

ख. बॉम्बे रेयॉन फैशन लिमिटेड, महाराष्ट्र,

ग. सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड, महाराष्ट्र,

घ. रेमंड लक्ज़री कॉटन्स लिमिटेड, महाराष्ट्र,

ड. श्री दामोदर यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दमन

च. भारत विजय मिल्स, गुजरात

xi. उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने जवाब दिया है और आयातक/प्रयोक्ता की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया :

क. टैक्सवेंचर एलएलपी

xii. आवेदकों तथा अनय हितबद्ध पक्षकारों से आगे सूचना उस सीमा तक मांगी गई थी, जिस सीमा तक उन्हें आवश्यक माना गया ।

xiii. कोविड-19 की चल रही वैश्विक महामारी के कारण, सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह कहा गया था कि वे ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतरों को साझा करें । सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संगत मानी गई सीमा तक किए गए अनुरोधों पर अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है ।

xiv. यह याचिका 2019-20 से सितंबर, 2022 तक की अवधि के लिए बाजार आसूचना और गौण स्रोत से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर दायर की गई थी । प्राधिकारी द्वारा प्रणाली महानिदेशालय (डी जी एस) को इस आशय का एक अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का लेन-देनवार विवरण उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था । इस जांच में, यह प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया कि एसईजेड इकाइयों में पर्याप्त आयात किया जा रहा है, इसलिए, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच में अप्रैल 2019 से सितंबर 2022 की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स और एसईजेड से ऑनलाइन प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया है। . डीजी सिस्टम्स से आयात डेटा को एसईजेड आयात डेटा और उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया के साथ विधिवत पुष्टि की गई है।

xv. घरेलू उद्योग ने वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं । क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा इस नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की ईष्टतम लागत और उन वस्तुओं का निर्माण करने और बिक्री करने की लागत के आधार पर किया गया है । इस प्रकार की क्षति रहित कीमतपर यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

xvi. आवेदकों द्वारा उपलबध कराई गई सूचना का मौके पर उस सीमा तक सत्यापन, जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया, के द्वारा भौतिक निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया था । जहां कहीं भी लागू हुआ, आवश्यक संशोधन के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से विश्वास किया गया है ।

xvii. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उस सीमा तक सत्यापन, जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया, प्राधिकारी द्वारा किया गया था और इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से विश्वास किया गया है ।

xviii. वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) अक्तूबर 2021-सितंबर 2022 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि 2019-20, 2020-21, 2021-22, और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है। 2021-22 के बीच छह महीने की अवधि तथा जांच की अवधि के अधिव्यापन पर क्षति का विश्लेषण करते समय विचार किया गया है ।

xix. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को इस प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलबध कराने हेतु दिनांक 20 जून, 2023 को मौखिक सुनवाई की । मौखिक सुनवाई में उपस्थित सभी पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें । लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतरों को सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के द्वारा परिचालित किया गया था और उन्हें प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया था ।

xx. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्कों पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है ।

xxi. जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का जहां कहीं भी संगत पाया गया, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणामों में निवारण किया गया है ।

xxii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलबध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को

स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है । जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलबध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ।

xxiii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार किया है, अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है या इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उसे रिकॉर्ड किया है ।

xxiv. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, आवश्यक तथ्यों को प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2023 को संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था । 11 जुलाई, 2023 तक टिप्पणियों के बारे में अनुरोध किया गया था । प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिपणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है ।

xxv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डॉलर= 77.48 रूपए है ।

xxvi. इस अधिसूचना में *** गोपनीय आधार पर तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना, जिसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का द्योतक है ।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

8. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, जांच की शुरूआत के चरण में, मूल जांच में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद का कार्य क्षेत्र वही रखा गया था । तद्नुसार, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था ।

"7. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "70 एलईए काउंट से कम का फ्लैक्स यार्न (42 एनएम के समतुल्य)" है।

8. फ्लैक्स यार्न एक प्राकृतिक सेलुलोसिक फाइबर होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से एंटीमाइक्रोबाइल, एंटीफंगल विशेषताएं होती हैं। इस यार्न को आमतौर पर 100 प्रतिशत फ्लैक्स फाइबर से बनाया जाता है और लिनेन यार्न या फ्लैक्स यार्न कहा जाता है। फ्लैक्स फाइबर को फ्लैक्स यार्न या लिनेन यार्न बनाने के लिए अन्य फाइबर के साथ मिश्रित भी किया जा सकता है। फ्लैक्स यार्न का प्राथमिक उपयोग फ्लैक्स फैब्रिक का निर्माण करने में होता है। फ्लैक्स फैब्रिक को परिधान और घरेलू वस्त्र में प्रयोग किया जाता है।

9. सभी अन्य प्राकृतिक सुल्युलोसिक फाइबर जैसे कपास, हैम्प, जूट और रैमी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। 70 या उससे अधिक एलईए फ्लैक्स यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर हैं।"

ग.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

9. अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है ।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :

   i. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "70 एलईए (42 एनएम)" से कम का फ्लैक्स यार्न है। 70 और उससे अधिक एलईए का फ्लैक्स यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर किया गया है ।

   ii. फ्लैक्स यार्न एक लिनेन यार्न है । यह एक प्राकृतिक सेल्युलोसिक फाइबर, नमी को अत्यधिक अवशोषित करने वाला है, इसमें उच्चतर संयोजकता रहती है तथा इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीमाइक्रोबाइल, एंटीफंगल गुण होते हैं। फ्लैक्स फाइबर से बनाए गए यार्न को फ्लैक्स यार्न/ लिनेन यार्न कहा जाता है। अन्य सभी प्राकृतिक सेल्युलोसिक फाइबर जैसे कपास, हैम्प, जूट और रेमी वर्तमान याचिका के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं । यदि विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख लीनेन/फ्लैक्स यार्नके रूप में कियाजाता है, तब यह सीमाशुल्क और बाजार की भाषा में अच्छी तरह से समझा जाता है ।

iii. ऑफलैक्स यार्न का प्रयोग फ्लैक्स फैब्रिक बनाने में किया जाता है । फ्लैक्स फैब्रिक का प्रयोग अपैरल जैसे ड्रेस, सूट, सेपरेट्स, स्कर्ट, जैकेट, पैंट, ब्लाउजेज, शर्टस, चिल्ड्रनस वीयर आदि तथा होम टैक्सटाइल्स जैसे पर्दा, ड्रेपरीज, अपहोस्टरी, बैडस्प्रेड्स, टेबल लिनन, शीट्स, डिस टावल्स आदि के लिए किया जाता है ।

iv. चीन जन. गण. से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद तथा भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । वर्तमान मामले में, आयात किए गए तथा घरेलू दोनों उत्पादों में भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमतनिर्धारण, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जेसे मापदंडों के संबंधमें तुलनीय विशेषताएं हैं । उपभोक्ता इनका उपयोग कर सकते हैं और वे एक दूसरे के स्थान पर इन दोनों का उपयोग कर रहे हैं । ये दोनों तकनीकी रूप से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन किए जाने योग्य हैं तथा इस प्रकार, ये समान वस्तु हैं ।

v. विचाराधीन उत्पाद का आयात आम तौर पर एचएस कोड 5306 1090 और 5306 2090 के अंतर्गत किया जाता है । हालांकि अन्य एच एस कोड के अंतर्गत भी आयात हो सकते हैं और इस कारण से यह स्पष्ट किया जाता है कि ये एच एस कोड केवल संसूचक हैं और उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में होगा ।

vi. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियों की मांग करने के बाद पीसीएन पद्धति अपनाई । आवेदकों ने घरेलू उद्योग के उत्पादन की पीसीएन-वार लागत सहित सभी संगत सूचना को रिकॉर्ड पर रखा ।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

11.वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में वही रहता है जिसे मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में परिभाषित किया गया ।

"70 एलईए काउंट से कम का फ्लैक्स यार्न (42 एनएम के समतुल्य)" । यह नोट किया गया था कि मूल अंतिम जांच परिणामों के पैरा 9 में, विचाराधीन उत्पाद का दायरा 'सभी अन्य प्राकृतिक सेल्युलोसिक फाइबर जैसे कपास, हैंम, जूट और रैमी वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं । 70 और उससे

अधिक एलईए के फ्लैक्स यार्न को स्पष्ट रूप से विचाराधीन उतपाद के दायरे से बाहर किया गया है।''

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि पीयूसी का दायरा *"70 एलईए काउंट से कम का फ्लैक्स यार्न (42 एनएम के समतुल्य)"* *तक सीमित है ।*

13. विचाराधीन उत्पाद सामान्य तौर पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत मद 5306 और उप मद 53061010, 53061090, 53062010 और 53062090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । इन एच एस कोड को केवल संसूचक माना जाता है और उत्पाद का विवरण वर्तमान जांच के उद्देश्य से निर्णायक है ।

14. फ्लैक्स यार्न एक प्राकृतिक सेल्युलोसिक फाइबर है जिसमें प्राकृतिक रूप से एंटीमाइक्रोबियल, एंटीफंगल गुण होते हैं । इस यार्न को आम तौर पर 100 प्रतिशत फ्लैक्स फाइबर से बनाया जाता है तथा इसे लिनेन यार्न अथवा फ्लैक्स यार्न कहा जाता है । फ्लैक्स फाइबर को फ्लैक्स यार्न अथवा लिनेन यार्न बनाने के लिए अन्य फाइबरों के साथ मिश्रित भी किया जा सकता है । फ्लैक्स यार्न का प्राथमिक उपयोग फ्लैक्स फैब्रिक बनाने में होता है । फ्लैक्स फैब्रिक का उपयोग अपैरल के लिए और होम टैक्सटाइल में होता है ।

15. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वसतुओं का आयात विभिन्न एल ई एकाउंट में किया जा रहा है । आवेदकों ने पीसीएन से पीसीएन तुलना करने के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्याओं(पीसीएन) का प्रस्ताव किया था । इन मानदंडों, जो उत्पाद की संबद्ध लागत और कीमतों को प्रभावित करते हैं, पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना के द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां आमंत्रित की । हालांकि हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी । प्राधिकारी ने दिनांक 29 मई, 2023 के संप्रेषण सं. 7/3/2023-डीजीटीआर के द्वारा पीसीएन पद्धति अधिसूचित की । वर्तमान जांच में अपनाईगई पीसीएन पद्धति निम्नानुसारहै :

क्र.सं.	***एलईए श्रेणी***	***एनएम श्रेणी***	***पीसीएन***
1	*5 एलईए तक*	*3 एनएम तक*	*01*
2	*5 से अधिक और 10 तक*	*3 से अधिक और 6 तक*	*02*

3	10 से अधिक और 15 तक	6 से अधिक और 9 तक	03
4	15 से अधिक और 20 तक	9 से अधिक और 12 तक	04
5	20 से अधिक और 25 तक	12 से अधिक और 15 तक	05
6	25 से अधिक और 30 तक	15 से अधिक और 18 तक	06
7	30 से अधिक और 35 तक	18 से अधिक और 21 तक	07
8	35से अधिक और 40 तक	21 से अधिक और 24 तक	08
9	40 से अधिक और 45 तक	24 से अधिक और 27 तक	09
10	45 से अधिक और 50 तक	27 से अधिक और 30 तक	10
11	50 से अधिक और 55 तक	30 से अधिक और 33 तक	11
12	55 से अधिक और 60 तक	33 से अधिक और 36 तक	12
13	60 से अधिक और 65 तक	36 से अधिक और 39 तक	13
14	65 से अधिक और 70 से कम	39 से अधिक और 42 से कम	14

16. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयात किया गया विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा इन वस्तुओं का प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु इस नियमावली के संदर्भ में समान वस्तु हैं । ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिजियक रूप से प्रतिस्थापन के योग्य हैं । प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली

के नियम 2(घ) के दायरे एवं अर्थ से संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं ।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के आधार और दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है ।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के आधार और दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. यह आवेदन मै. जय श्री टैक्सटाइलस लिमिटेड और मै. सिंटेक्स इंडस्ट्रीज द्वारा दायर किया गया है । आवेदक का भारत में संबंधित उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में बड़ा हिस्सा है ।

ii. इस आवेदन का समर्थन यह आवेदन दायर करते समय मै. लिनेन आर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मै. गोल्डन फाइबर एलएलपी और मै. रेमंड लग्जरी कॉटंस लिमिटेड द्वारा किया गया था ।

iii. ये आवेदक न तो चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित हैं और न ही वे भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में निर्यातक से संबंधित हैं । इसके अलावा, आवेदकों को इस नियमावली के संबंध में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना जाना चाहिए ।

iv. ये आवेदक चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक-निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं ।

v. इन आवेदकों के पास पर्याप्त आाधर है और इस नियमावली के अर्थ से यह घरेलू उद्योग है । यद्यपि, यह वह शर्त नहीं है जो निर्णायक समीक्षा जांच के लिए अनिवार्य हो ।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. पाटन रोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।

20. वर्तमान आवेदन मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जय श्री टेक्सटाइल्स) और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लि. द्वारा दायर किया गया है । मै. रेमंड लग्जरी कॉटन्स, मै. लिनेन आर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. गोल्डन फाइबर एलएलपी ने भी इस याचिका का समर्थन किया है और शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है । संबद्ध वस्तुओं के तीन और घरेलू उत्पादक हैं अर्थात मै. चंपदानी इंडस्ट्रीज, मै. कमरहाटी जूट मिल्स तथा मै. डब्ल्यू एफ बी बर्ड एंड कं. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड । यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादकों की संख्या में मूल जांच से वृद्धि हुई है ।
21. इसके अलावा, आवेदकों द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग ***% है और यह भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है । हालांकि इन उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई संगत सूचना की जांच इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संगत स्थानों पर किया गया है कि क्या इसका कार्य निष्पादन आवेदकों की तुलना में वास्तविक रूप से अलग स्थिति को दर्शाता है ।
22. ऊपर में दिए हुए रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच करने पर तथा कानूनी प्रावधानों पर विचार करने पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में घरेलू उद्योग है और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है ।

ड. <u>गोपनीयता से संबंधित मुद्दे</u>

ड.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके द्वारा तथा घरेलू उद्योग के द्वारा दावा किए गए गोपनीयता और घरेलू उद्योग के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. घरेलू उद्योग ने इस सूचना, जो गोपनीय नहीं है, जैसे उनका वित्तीय विवरण और भारतीय उत्पादन का विवरण के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है । यह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपना अनुरोध करने से रोक रहा है क्योंकि उन्हें इस सूचना तक पहुंच नहीं मिलती है ।

ii. याचिकाकर्ता समर्थकों द्वारा आयात प्रकट किया जाना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए याचिककर्ता की पात्रता पर वस्तुनिष्ठ तरीके से टिप्पणी कर सकते हैं ।

iii. प्रपत्र ग 1 में सूचित किए गए कच्चे माल, उपयोगिता, अन्य परिवर्तन लागत और ब्याज लागत के संबंध में सूचना को एक गैर-गोपनीय सारांश द्वारा संलग्न किए बिना गोपनीय माना जाता है ।

iv. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और इस प्रकार बचाव के अधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है । याचिकाकर्ता इस नियमावली के नियम 7 तथा दिनांक 9 दिसंबर, 2013 के व्यापार नोटिस सं. 01/2013 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है । हमारा बचाव का अधिकार कम हो जाता है क्योंकि बहुत अधिक आंकड़े एन सी वी याचिका में उचित रूप से सूचीबद्ध नहीं है ।

ड.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

24. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. आवेदकों ने केवल ऐसी सूचना से गोपनीय होने का दावा किया है जो या तो पब्लिक डोमेन में है या जिसे विधि द्वारा प्रकट करने का अधिकार नहीं दिया गया है । इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने गोपनीयता का दावा करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर कारण भी दिए हैं ।

ii. उत्पादन (अपना, समर्थकों का, अन्य उत्पादकों का, भारत में कुल का), निर्यात बिक्री की मात्रा, घरेलू बिक्री की मात्रा (अपना, समर्थकों का, अन्य उत्पादकों का), याचिकाकर्ता और समर्थकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का आयात, बाजार हिस्सा, कैप्टिव खपत, क्षमता का उपयोग, मालसूची और याचिकाकर्ता का रोजगार से संबंधित सूचना व्यापार संवेदनशील सूचना है जिसका प्रकटन याचिकाकर्ता के व्यापारिक हितों को गंभीर रूप से खतरे में डालेगा ।

iii. लागत संबंधी सूचना प्रकृतिवश अत्यधिक व्यापार संवेदनशील है और इस कारण से इसे गोपनीय के रूप में दावा किया गया है । याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रतिष्ठान के प्रकाशित सूचना के आधार पर अपनी क्षति संबंधी सूचना तैयार नहीं की है । आवेदक संबद्ध वस्तुओं का व्यापार कर रहे प्रभागों जो कंपनी का एक प्रभाग अथवा इकाई के रूप में कार्य करता है, के लिए अलग वित्तीय रिकॉर्ड रखते हैं । आवेदकों के वित्तीय लेखाओं से सभी सूचना ली गई है जिनका पृथक रूप से लेखा परीक्षण किया जाता है। आवेदकों से संबंधित वित्तीय सूचना पब्लिक डोमेन में अलग से उपलब्ध नहीं है । संगत सूचना प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी गई है क्योंकि उसका प्रकटन आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा ।

iv. आवेदकों ने निवल निर्यात कीमत और भारतीय अन्य उत्पादकों की बिक्री की गणना के लिए संयुक्त भत्तों/कटौतियों का अनुमान लगाया है । निर्यातकों ने यह नहीं दर्शाया है (वास्तव में दावा भी नहीं किया है) कि आवेदकों द्वारा ली गई राशि अत्यधिक है । किसी भी स्थिति में प्राधिकारी उचित सत्यापन के बाद निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर विचार करेंगे ।

v. आवेदकों और समर्थकों द्वारा किए गए आयातों का विवरण व्यापार संवेदनशील सूचना है और इस कारण से प्रकट नहीं किया जा सकता है । यह सूचना सूचीबद्ध रूप में दी गई है जो विधि के अनुसार औचित्य ठहराए जाने योग्य है ।

vi. प्रपत्र ग 1 में सूचित किए गए कच्चे माल, युटीलिटी, अन्य परिवर्तन लागत और ब्याज लागत के संबंध में सूचना गोपनीय प्रकृति की है और जिसका प्रकटन आवेदकों के हितों को गंभीर रूप से खतरे में डालेगा ।

vii. प्रतिवादियों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में अतयधिक गोपनीयता का दावा किया है और यह टिप्पणी करने के हमारे अधिकार को कम करता है क्योंकि इस पर उसके लिए बिना कोई सही कारण बताए सार्थक सारांश उपलब्ध नहीं कराता है । संबद्ध देश से सभी निर्यातकों और उत्पादकों के अनुरोध की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अलग बर्ताव से इंकार नहीं करना चाहिए।

ङ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

25. गोपनीयता के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनेक अनुरोध किए गए हैं और उनकी प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक निम्नानुसार जांच की गई है ।

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

27. प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई भी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरण के लिए क्योंकि इसका प्रकटन प्रतियोगी के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी लाभ का होगा अथवा चूंकि इसके प्रकटन का सूचना देने वाले व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति जिससे उस व्यक्ति ने ये सूचना प्राप्त की पर बहुत अधिक हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) अथवा जिसे इन पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दिया गया है, सही कारण दर्शाए जाने पर इसे प्राधिकारी द्वारा वैसा माना जाना चाहिए । इस प्रकार की सूचना को उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता है ।

28. प्राधिकारी ने आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में दावे की अनुमति दी है । प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर जांच के लिए उपलब्ध कराया है ।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

i. याचिकाकर्ता द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए शर्त का प्रावधान करने के लिए कोई पुष्टिकृत साक्ष्य नहीं लाया है जबकि जांच करने वाले प्राधिकारी ने तथ्यों की उपयुक्त छानबीन नहीं की है ।

ii. भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू आपूर्ति बहुत कम है क्योंकि घरेलू उद्योग सहित विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश भारतीय उत्पादक अपनी आबद्ध मांग को पूरा करने के लिए अधिक चिंतित हैं । वे विचाराधीन उत्पाद की अपनी कैप्टिव खपत में तब वृद्धि करते हैं जब लिनेन टैक्सटाइल और अपैरल का निर्माण करने और उनके अपने रिटेल स्टोर तक उसकी आपूर्ति करने के लिए मांग बहुत अधिक होती है (पीक सीजन), घरेलू उद्योग स्वयं अपनी कैप्टिव मांग को पूरा करने के लिए बंगलादेश से आयात करता है । इसका अपना उत्पादन कम पड़ जाता है। डाउन स्ट्रीम प्रयोक्ता चीन और अन्य देशों से उच्चतर कीमत का भुगतान कर अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ।

iii. आवेदकों ने स्वयं बंगलादेश से आयात किया है और यह उल्लेख किया है कि भारत को बंगला देश की कीमत पर सामान्य मूल्य की संरचना के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये पाटित आयात हैं । इसे घरेलू उद्योग के स्व-स्वीकरण के रूप में माना जाना चाहिए कि वे अपने लिए पाटित कीमतों पर बंगलादेश से आयात कर रहे हैं । यह उनके द्वारा स्वयं क्षति की जा रही है ।

iv. आवेदक अत्यधिक संरक्षण की मांग कर रहे हैं जो पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य नहीं है । पाटनरोधी शुल्क एक समान अवसर सृजित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है जो इसने पहले ही कर लिया है । इस कारण से इसे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

v. प्राधिकारी को यह सत्यापित करना होगा कि क्या आवेदक किसी उत्पादन की दिशा में अलग-अलग उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि विचाराधीन उत्पाद और विभक्तिकरण में कोई असंगत का समाधान किया जाना चाहिए ।

vi. पेपर बुक सुनवाई के पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए ।

vii. याचिकाकर्ता, ग्रासिम इंडस्ट्रीज पाटनरोधी शुल्कों का लाभ लेता है जब यह नकारात्मक परिस्थितियों से गुजरता है और पर्याप्त संरक्षण याचिकाकर्ता के अन्य उत्पादों में पहले ही दिया गया है । यह पाटनरोधी शुल्क का एक आदतन उपयोगकर्ता है ।

viii. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एकाधिकारवादी कार्य पद्धतियों को अपनाने और अपनी प्रभावी स्थिति का दुरूपयोग करने के लिए ग्रासिम उद्योग पर 302 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है । यदि शुल्क की सिफारिश की जाती है तब वे फलैक्सयार्न में भी एकाधिकारवादी स्थिति उत्पन्न करने के लिए पाटनरोधी तंत्र का दुरूपयोग कर सकते हैं ।

च.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

30. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध विचार किए गए हैं :

i. इस याचिका में दी गई सूचना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बेहतर हुआ है । प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन और क्षति, जिसके कारण घरेलू उद्योग को हानि हुई है, के बीच कारणात्मक संबंध की संभावना का पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर वर्तमान जांच शुरू की थी ।

ii. भारतीय उद्योग की कैप्टिव मांग कुल मांग का 15 प्रतिशत से कम है । भारतीय उद्योग की क्षमता का बहुत अधिक हिस्से का अभी भी कम उपयोग हुआ है विशेषकर अन्य उत्पादकों के मामले में ऐसा हुआ था । कैप्टिव मांग आयातों में वृद्धि का कारण नहीं हो सकती है क्योंकि भारत की समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता अभी भी मौजूद है ।

iii. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सुधार हुआ है । हालांकि घरेलू उद्योग की स्थिति अभी भी जोखिमपूर्ण है जैसा कि प्रस्तुत किया

गया जांच की अवधि के बाद की अवधि के प्रदर्शन से स्पष्ट है जो यह दर्शाता है कि इस उद्योग में हानि उठाना शुरू किया है ।

iv. घरेलू उद्योग को बंगला देश से आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है । हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चीन से 3407 मी.ट. की मात्रा क्षति पहुंचाने में सक्षम नहीं थी और आवेदकों में से एक आवेदक द्वारा आयात की गई 75 एम टी की मात्रा से घरेलू उद्योग को क्षति हुई ।

v. बंगलादेश से आयात भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में मात्रा में बहुत कम है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग में से एक उद्योग द्वारा किए गए आयात का हिस्सा इसके उत्पादन और भारतीय खपत पर विचार करते हुए बहुत कम था ।

vi. समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए क्षमता के साथ भारत में कुल 8 उत्पादकों के साथ भी, चीन के आयात लागू शुल्क के बावजूद आधार वर्ष के बजाए क्षति की पूरी अवधि के दौरान लगभग 20 प्रतिशत हुआ है । यह दर्शाता है कि भारतीय उद्योग का प्रदर्शन चीन के उत्पादकों के लिए किसी मतलब का नहीं है ।

vii. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है । हालांकि उतना सुधार नहीं हुआ है जितना कि प्रतिवादियों द्वारा अनुमान लगाया गया है ।

viii. 3,407 एम टी का आयात अभी भी बहुत अधिक है क्योंकि ये आयात तब हो रहे हैं जब मांग आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और इस स्थिति के विपरीत जो जांच की अवधि न थी जहां आयात आवश्यकता बन गए थे । ये आयात मांग में लगभग 20 प्रतिशत के हिस्से को बनाए रखता है और उसे नगण्य के रूप में नहीं माना जा सकता है ।

ix. आवेदक अनुचित व्यापार कार्य पद्धतियों और पाटित विदेशी आयातों, जिनके कारण क्षति हो रही है, के विरूद्ध असहाय हैं । कानून में उक्त कार्य पद्धतियों के विरूद्ध उपलब्ध एकमात्र निदान व्यापार उपचारात्मक शुल्क है । पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहा उद्योग पाटनरोधी शुल्क की जांच के माध्यम से केवल क्षति के निदान की मांग कर सकता है और इस कारण से असंबंधित पाटनरोधी शुल्क की जांच में भाग लेने का वर्तमान जांच के लिए कोई मतलब नहीं है ।

x. पेपर बुक में वह सूचना निहित थी जो अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए गए आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में पूर्ण रूप से उपलब्ध था । चूंकि

मौखिक सुनवाई के दौरान कोई नई सूचना साझा नहीं की गई थी, अत: पेपर बुक को पूर्व में परिचालित नहीं किया गया था क्योंकि सभी सूचनाओं को अगोपनीय रूपांतर में पहले ही साझा कर दिया गया था ।

xi. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच चल रही समीक्षा जांच से संबंधित नहीं है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्रवाई का चल रही जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा, वर्तमान समीक्षा जांच समग्र भारतीय उद्योग के लिए है और न कि एक कंपनी के लिए है ।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है :

i. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए शर्त की व्यवस्था करने हेतु कोई पुष्टिकृत साक्ष्य नहीं लाया गया है और जांच करने वाले प्राधिकारी ने तथ्यों की उपयुक्त छान-बीन नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन आवेदकों ने पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई थी, जो वर्तमान समीक्षा जांच को शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं । इस जांच की शुरूआत इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद की गई थी कि नियमावली के अंतर्गत यथाअपेक्षित पर्याप्त साक्ष्य जांच की शुरूआत को औचित्यपूर्ण ठहराते हुए उपलब्ध थे ।

ii. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू आपूर्ति भारतीय उत्पादक के अपनी कैप्टिव मांग को पूरा करने के लिए अधिक प्रयुक्त होने के कारण बहुत अधिक कम है । घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारतीय उद्योग की कैप्टिव खपत कुल भारतीय मांग का 15 प्रतिशत से कम है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता बची हुई है जो उस मात्रा से अधिक है जिसकी खपत कैप्टिव रूप से भारतीय उत्पादकों द्वारा की जा रही है । यह दर्शाता है कि कैप्टिव खपत ड्राउन स्ट्रीम उद्योग द्वारा किए जाने वाले आयात का कारण नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है । किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी यह मानते हैं कि मांग और आपूर्ति में अंतर संबद्ध आयातों द्वारा

पाटन और क्षति की संभावना के विरूद्ध निवारण की मांग करने से घरेलू उद्योग को वंचित करने के लिए कारण नहीं हो सकता है ।

iii. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदकों ने बंगलादेश से आयात किया है और इस उदयोग को अपने ही कारण से क्षति हो रही है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनी द्वारा किया गया आयात इसके उत्पादन और भारतीय खपत की तुलना में नगण्य है । इसके अलावा, बंगला देश से कुल आयात चीन से आयातों, जो शुल्क लगाए जाने के बावजूद भी बहुत अधिक है, के विरूद्ध भारतीय खपत की तुलना में कम हैं । डी जी प्रणाली के आंकड़ों, जिन पर विचार किया गया है, यह दर्शाता है बंगलादेश से कीमत उस कीमत की तुलना में उच्चतर है जिस पर वस्तुओं का निर्यात चीन से किया जा रहा है ।

iv. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पेपर बुक परिचालित करना चाहिए, प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में पहले ही उपलब्ध कराये गए आंकड़े और सूचना दर्शायी थी । आवेदन का यह अगोपनीय रूपांतर पहले ही आवेदक द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित किया गया था । इसके अलावा, आवेदकों ने हितबद्ध पक्षकारों को अपने लिखित अनुरोधों में टिप्पणिया देने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से मौखिक सुनवाई के बाद पेपर बुक परिचालित किया ।

v. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक पाटनरोधी शुल्क का बार-बार और आदतन उपयोग करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क उपचारात्मक शुल्क है जिन्हें विस्तृत छानबीन और जांच के बाद ही लगाया जा सकता है । इन शुल्कों को पाटन, क्षति और इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को सिद्ध करने के बाद ही लगाया जाता है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि अन्य उत्पादों में अन्य पाटनरोधी जांचों में आवेदक की भागीदारी का वर्तमान समीक्षा जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

vi. इस अनुरोध के संबंध में कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एकाधिकारवादी कार्य पद्धति के लिए ग्रासिम पर जुर्माना लगाया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा यह जांच वर्तमान समीक्षा जांच से संबंधित नहीं है । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक असंबंधित उत्पपाद में कार्य पद्धतियों के लिए ग्रासिम की जांच की थी । उपरोक्त के अलावा, सीसीआई की भूमिका और एडी नियमों के तहत उपाय एक अलग आधार पर हैं, और इसलिए यह कहना है

कि चूंकि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के आवेदकों में से एक पर सीसीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है और इसलिए एडी नियमों के तहत उपचार प्रदान नहीं किया जा सकता, यह अक्षम्य है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का दायरा विचाराधीन उत्पाद की पाटन जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के संबंध में है, क्या इससे घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क लागू करना या बढ़ाया जाना आवश्यक है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

32. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण पर अन्य हितबद्ध द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

i. ईथीयोपिया से कीमतों की उपेक्षा केवल इस कारण से नहीं की जानी चाहिए कि इथीयोपिया में चीन के निर्माताओं द्वारा निवेश किया गया है । इथीयोपिया में उत्पादित वस्तु न तो चीन के मूल की है और न ही चीन में कीमतों से प्रभावित होती है । किंगडम ग्रुप, चीन के साथ इथीयोपिया के उत्पादक का संबंध असंगत है । इसके अलावा, आवेदकों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि इस प्रकार से इथीयोपिया में निवेश इथीयोपिया से विचाराधीन उतपाद की कीमत को प्रभावित करता है । वास्तव में इथीयोपिया की कीमतें जांच की अवधि के दौरान बंगलादेश की कीमतों से अधिक हैं ।

ii. भारत में उचित प्रतिफल के साथ संरचित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण गैर कानूनी और अनुबंध-1 के पैरा-7 के विरूद्ध है । सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा-7 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न परिणामी विकल्पों के संबंध में किया जाना अपेक्षित है ।

iii. सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में विहित पद्धतियों के पदानुक्रम के अनुसार किया जाना चाहिए । बंगलादेश से विचाराधीन उत्पाद की कीमत का उपयोग 1995 की नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अंतर्गत दूसरे विकल्प में सामान्य मूल्य के रूप में किया जाना चाहिए।

iv. किंगडम ग्रुप की निर्यात कीमत का निर्धारण अपनी प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर किया जाना चाहिए । प्रतिवादियों ने तीसरे देशों को निर्यात का लेन-देन वार

विवरण तथा पहचान किए गए पीसीएन के साथ एसएसआर जांच के उद्देश्य से प्रश्नावलियों के दोनों भाग प्रस्तुत किए ।

v. नकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ पीसीएन की उपेक्षा करना और सकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ केवल पीसीएन पर विचार करना जीरोइंग कहलाता है जो गैर कानूनी है । भारतीय कानून के अंतर्गत जीरोइंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यूरोपीय समुदाय में अपीलीय निकाय रिपोर्ट- भारत से कॉटन टाइप बेड लिनेन तथा संयुक्त राज्य - साफ्टवुड लुंबर में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का संदर्भ लिया गया जहां यह माना गया था कि जीरोइंग निर्यात लेन देन जो जांच की अवधि के दौरान होता है, की वास्तविक कीमत का पूर्ण रूप से और विधिवत उल्लेख नहीं करता है जिसके फलस्वरूप पाटन मार्जिन में वृद्धि होती है ।

vi. आवेदकों ने यह दावा करने के लिए कि वर्तमान समीक्षा में लक्षित पाटन है, के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है ।

vii. आवेदकों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन जांच की अवधि के बाद और बदतर हुई है ।

viii. घरेलू उद्योग को दिए गए पर्याप्त संरक्षण के फलस्वरूप, संबद्ध आयातों में मूल जांच की जांच अवधि में 9,371 एमटी से वर्तमान समीक्षा की जांच की अवधि में 3,407 एमपी तक गिरावट आई । चीन से आयात कीमत मूल जांच में जांच की अवधि की तुलना में वर्तमान समीक्षा की जांच की अवधि में लगभग दुगुनी हो गई है ।

ix. घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि यह कंपनी भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रही है और न ही इसने यह दर्शाया था कि उसके पास अधिक अथवा अतिरिक्त क्षमताएं हैं । इसने यह नहीं दर्शाया है कि बाजार में कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण हुआ है और उसने इसके दावे के समर्थन में कोई अन्य संगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है ।

x. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क (6क) का प्रावधान जो यह उल्लेख करता है कि निर्यातक के लिए पाटन का मार्जिन का निर्धारण उस निर्यातक द्वारा उपलब्घ कराई गई सूचना के आधार पर किया जाना है जिन पर यह प्रावधएान सीमा प्रशुल्क अधिनियम,1975 की धारा 9 क (5) के अनुसरण में की गई मूल जांच तथा निर्णायक समीक्षाओं, दोनों पर लागू होता है ।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

33. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

i. संबद्ध देश ने पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के बावजूद भारत में पाटन करना जारी रखा है ।

ii. कुछ पीसीएन के लिए पाटन मार्जिन जहां, आयात उच्चतर हैं, बहुत अधिक है। इसका आशय ''लक्षित पाटन'' है।

iii. प्राधिकारी को इस तथ्य का निर्धारण करना चाहिए कि क्यों पाटन मार्जिन का निर्धारण सभी आयातों के आधार पर किया जाना चाहिए जब निर्यातकों ने भारतीय बाजार में लक्षित पाटन का सहारा लिया हे ।

iv. नकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ पीसीएन की उपेक्षा की जानी चाहिए और केवल सकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ पीसीएन को लिया जाना चाहिए ।

v. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रतिवादियों को नहीं दिया जा सकता है यदि प्रतिवादी निर्यातक इस बात को संतुष्ट नहीं करते हैं कि उनके किसी भी बड़े शेयर धारक राज्य के स्वामित्व वाले/राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले प्रतिष्ठान हैं, यह भी कि प्रमुख इनपुट्स की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाते हैं, यदि प्रतिवादी चीन के निर्यातक इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रत्येक मापइदंड के संबंध में जांच में सफल नहीं होते हैं और यह कि प्रतिवादी कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद के सथ शामिल अपने संबंधित पक्षकारों के साथ वर्तमान जांच में भाग लिया है ।

vi. बाजार अर्थव्यवस्था का बर्ताव नहीं दिया जा सकता है, जहां चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं होते हैं कि उनका बुक्स अंतराष्ट्रीय लेखांकनमा नदंड (आईएएस) के अनुरूप है ।

vii. यह प्रतिवादी चीन के निर्यातकों और न कि प्राधिकारी के लिए है कि वे सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवव्स्था की स्थितियों के अंतर्गत कार्य कर रहे है ।

viii. ऐसे मामले में चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपर्युक्त तथ्यों और स्थितियों को ध्यान में रखकर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है ।

ix. चीन में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य का निर्धारण इस कारण से बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सका कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपब्ध नहीं है ।

x. चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत सहित अन्य देश को ऐसे तीसरे देश से कीमत के आधार पर नहीं किया जा सका क्योंकि संगत सूचना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों से अन्य देशों को निर्यातों के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है । चीन को छोड़कर भारत में आयातों के संबंध में, इथीयोपिया और बंगलादेश से आयात हुए हैं । इथीयोपिया से आयात चीन के उत्पादक के संबंधित पक्षकार से हुआ है और यह उसी समूह निर्यात (किंगडम ग्रुप) में है और बंगला देश से आयात कीमत पाटित है, इस कारण से इन दोनों कीमतों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त रूप से नहीं लिया जाना है ।

xi. आवेदक ने कच्चे माल और उपयोगिता के लिए घरेलू उद्योग के खपत मापदंडों पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग के अनुसार सभी कच्चे मालों की कीमत लेते हुए और उसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च के साथ विधिवत समायोजित करते हुए तथा आवेदकों के खपत मापदंड पर विचार करते हुए उत्पादन की लागत के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।

xii. निर्यात कीमत सामान्य मूल्य के साथ इसे तुलनीय बनाने के लिए इस उद्योग के पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर उचित समायोजन करने के बाद आयात आंकड़ों से उपलब्ध सूचना के आधार पर संगठित किया जाता है ।

xiii. पाटन मार्जिन सकारात्म्क और वास्तविक है ।

xiv. प्रतिवादियों के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए यदि निर्यातकों ने तीसरे देशों को निर्यातों का लेनदेनवार ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है और किसी भी मामले में उनमें पीसीएन की पहचान नहीं की है, प्राधिकारी को ईक्यूआर स्वीकार नहीं करना चाहिए ।

xv. यह तथ्य कि निर्यातकों ने पाटन का सहारा लिया है, पाटन की मौजूदगी से इंकार नहीं करने में अपनी परोक्ष स्वीकारोक्ति द्वारा सिद्ध हो जाता है ।

xvi. किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के बतार्व का दावा नहीं किया है। वास्तव में उन्होंने कहा है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव के लिए अनुरोध नहीं

करते हैं और यह कि वे डीजीटीआर द्‌वारा निर्धारित सामान्य मूल्य को स्वीकार करते हैं ।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्‌वारा जांच</u>

34. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क)समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्‌धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

35. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा:

''(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

36. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं । तथापि, एक्सेसन प्रोटोकोल के 15 (क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.1.1.1 के प्रावधानों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना /आंकडों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए भारत के पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में मापदंड को निर्धारित किया जाना अपेक्षित है ।

37. जांच की शुरूआत के चरण में, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कार्रवाई आरंभ की । जांच की शुरूआत किए जाने पर, प्राधिकार ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांचकी शुरूआत की सूचना देने के लिए तथा बाजार अर्थव्यवस्था के उनके दर्जे के निर्धारण से संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंड के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवव्स्था के पूर्वानुमान का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादक/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी । प्राधिकारी ने चीन जन

गण की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वह संगत सूचना उपलबध कराने के लिए चीन जन गण में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें । निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया है।

क. झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

ख. हेइलोंगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

ग. जियांग्सू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

घ. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

ड. हेइलोंगजियांग यान्शू जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

च. यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

38. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन के एनएमई दर्जे पर आपत्ति नहीं की है। इस प्रकार उक्त स्थिति को देखते हुए और चीन की किसी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता का खंडन नहीं करने पर प्राधिकारी चीन जन. गण. को वर्तमान जांच में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उचित समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनंबुध 1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

39. इस तर्क के संबंध में कि लक्षित पाटन मार्जिन को वर्तमान मामले में निर्धारित किया जाना चाहिए, यह नोट किया गया है कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए गए हैं कि निर्यातकों द्वारा निर्यात कीमत खरीदार, क्षेत्र या समयावधि के अनुसार काफी अलग-अलग होती है। इस प्रकार प्राधिकारी ने लक्षित पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

छ.4 <u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा या अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों में कीमतों संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। वैश्विक व्यापार आंकड़े भी इसमें शामिल विभिन्न पीसीएन के तथ्य को देखते हुए किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत पर विचार हेतु प्रयोग नहीं किये जा सकते हैं। इसके अलावा, जहां तक भारत में आयात का संबंध है। यह देखा गया है कि इथियोपिया और बांग्लादेश से आयात काफी अधिक हैं। आवेदकों ने दलील दी

है कि इथियोपिया से भारत में आयात की कीमत इसलिए विक्रित है क्योंकि निर्यातक चीन के एक उत्पादक की विस्तारित कंपनी है। आवेदकों ने इथियोपियन उत्पादक को दी जा रही सब्सिडी की मौजूदगी की भी सूचना दी है। यद्यपि इथियोपिया में प्रचलित स्कीमों की प्रतिसंतुलन योग्यता वर्तमान जांच का संबंधित विषय नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इथियोपिया से आयात केवल 2 पीसीएन के लिए है। जहां तक बांग्लादेश से आयात पर विचार किया गया है, इसे भी नहीं अपनाया जा सका क्योंकि बांग्लादेश से आयात केवल 3 पीसीएन के लिए है। ये 2/3 पीसीएन इस जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए 14 पीसीएन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका।

41. अत: प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में यथा निर्धारित ''भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत'' के अनुसार चीन में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है। सामान्य मूल्य उचित तुलना हेतु पीसीएन वार परिकलित किया गया था। प्रतिनिधि उत्पादक निर्यातक द्वारा विभिन्न पीसीएन की मात्राओं के आधार पर भारित औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.5 <u>निर्यात कीमत</u>

क) किंगडमग्रुप: मैसर्स झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, मैसर्स झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, और मैसर्स जियांगसू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, मैसर्स हेइलोंगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड।

42. प्रदत्त उत्तरों से यह नोट किया गया है कि किंगडम ग्रुप में भारत को संबंधित उत्पाद के उत्पादन और निर्यात में निम्नलिखित चार कंपनियां शामिल हैं:

i. झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
ii. हेइलोंगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
iii. जियांग्सू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
iv. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

43.ऊपर उल्लिखित चारों कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली के अलग-अलग उत्तर प्रस्तुत किये हैं। झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु के सीधे निर्यात में शामिल नहीं थी। उसने पीओआई के दौरान झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड और जियांगसु जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड के जरिये भारत को निर्यात किये थे।

44.ईक्यूआर अनुरोधों के अनुसार निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दावा की गई मात्रा की तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के साथ की गई थी। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की तुलना करने पर निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा सूचित आंकड़ों के बीच अंतर को नोट किया था। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथा सूचित इन उत्पादकों द्वारा किये गये निर्यातों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है। प्रकटन विवरण जारी होने पर सभी प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों ने तर्क दिया है कि निर्यात कीमत पर निर्यातकों द्वारा उनके ईक्यूआर में दिये गये उत्तर के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा किये गये अनुरोधों में उन्होंने बताया है कि आंकड़ों में अंतर इस तथ्य के कारण था कि (क) एसईजेड में स्थित इकाइयों की बिक्री डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में पूरी तरह प्रदर्शित नहीं हुई होगी । (ख) एफटीडब्ल्यूजेड को संबद्ध वस्तु का अंतरण डेटा बेस में प्रदर्शित नहीं हुआ होगा और (ग) नौवहन की तारीख और भारत में पहुंच की तारीख के बीच समय का अंतर था। अत: प्राधिकारी ने निर्यातकों के उत्तर के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है। निर्यातकों द्वारा दावा किये गये समायोजनों पर प्राधिकारी ने विधिवत रूप से विचार किया है।

45.प्राधिकारी ने ईक्यूआर के आंकड़ों के विश्लेषण और डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के साथ उनके प्रति सत्यापन करते समय यह पाया था कि कंपनी "हेइलोंगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड" ने उनके ईक्यूआर में यथा सूचित के विपरीत पीओआई के दौरान किसी मात्रा का निर्यात नहीं किया है। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत बीजकों में किसी अन्य कंपनी का नाम दिया गया है। तत्पश्चात निर्यातकों ने जांच के रिकार्ड में पहले से व्यापार लाइसेंस, बीजक, निर्यात दस्तावेजों के जरिये उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट किया है कि कंपनी का चीनी नाम समान है और यह कंपनी एक अद्वितीय यूनिफार्म सोशल क्रेडिट कोड रखती है जिससे पुष्टि होती हे कि ये कंपनियां समान हैं। प्राधिकारी ने शुल्क तालिका में निर्यात दस्तावेजों में यथा

सूचित रूप में "हेइलोंगजियांग किंगडम एंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड" पर विचार किया है।

46.तदनुसार, संबंधित सीएनवी से तुलना के लिए एनईपी को पीसीएन वार ज्ञात किया गया है और उसके बाद भारित औसत परिकलित किया गया है। भारत को निर्यात के लिए निर्धारित भारित औसत निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पैराग्राफों में तालिका के अनुसार पाटन मार्जिन में दर्शाये गये अनुसार है।

ख) मेसर्स यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

47.मेसर्स यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। यह नोट किया गया है कि मेसर्स यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड संबद्ध वस्तु का उत्पादक और निर्यातक है। पीओआई के दौरान मेसर्स यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड भारत को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था।

48.ईक्यूआर अनुरोधों के अनुसार निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दावा की गई मात्रा की तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के साथ की गई थी। प्राधिकारी ने नोट किया कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की तुलना करने पर निर्यातकों द्वारा सूचित आंकड़ों के बीच अंतर मौजूद है। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथा सूचित इन उत्पादकों द्वारा किये गये निर्यातों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है। प्रकटन विवरण जारी होने पर प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों ने तर्क दिया है कि निर्यात कीमत पर निर्यातकों द्वारा उनके ईक्यूआर तथा एसईजेड को सभी निर्यात बिक्रियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी ने पूर्व जांच में एसईजेड को निर्यात बिक्रियों पर विचार किया है। प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम्स और एसईजेड डेटा से डेटा की सटीकता की पुष्टि की है और इसलिए निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर निर्यात मूल्य पर विचार किया निर्यातकों द्वारा दावा किये गये समायोजनों पर प्राधिकारी ने विधिवत रूप से विचार किया है।

49.समुद्री भाड़ा जिसे प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा नहीं दिया गया था, को छोड़कर प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक के दावे के अनुसार समायोजनों पर प्राधिाकरी द्वारा विचार किया गया है। समुद्री भाड़ा के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सबसे बड़े निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया है। यह तर्क दिया गया था कि

निर्यातक द्वारा कमीशन नहीं दिया गया है। इसलिए प्रदत्त कमीशन के लिए किये गये समायोजन में सुधार किया गया है

50. तदनुसार, संबंधित सीएनवी से तुलना के लिए एनईपी को पीसीएन वार ज्ञात किया गया है और उसके बाद भारित औसत परिकलित किया गया है। भारत को निर्यात के लिए निर्धारित भारित औसत निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पैराग्राफों में तालिका के अनुसार पाटन मार्जिन में दर्शाये गये अनुसार है।

ग) मैसर्स हेइलोंगजियांग यान्शौजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

51. मेसर्स हेइलोंगजियांग यान्शौजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। यह नोट किया गया है कि वह संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और निर्यातक है। पीओआई के दौरान उसने संबद्ध वस्तु का सीधे निर्यात किया है। उत्पादक और निर्यातक द्वारा अंतरदेशीय परिवहन और अन्य, विदेशी भाड़ा, विदेशी बीमा, बैंक प्रभार और ऋण के लिए समायोजनों का दावा किया गया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है।

52. ईक्यूआर अनुरोधों के अनुसार निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दावा की गई मात्रा की तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के मूल्य साथ की गई थी। प्राधिकारी ने नोट किया कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की तुलना करने पर निर्यातकों द्वारा सूचित आंकड़ों के बीच अंतर मौजूद है। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथा सूचित इन उत्पादकों द्वारा किये गये निर्यातों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है। प्रकटन विवरण जारी होने पर सभी प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों ने तर्क दिया है कि निर्यात कीमत पर निर्यातकों द्वारा उनके ईक्यूआर तथा एसईजेड को सभी निर्यात बिक्रियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी ने पूर्व जांच में एसईजेड को निर्यात बिक्रियों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स और एसईजेड डेटा से डेटा की सटीकता की पुष्टि की है और इसलिए निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर निर्यात मूल्य पर विचार किया है। निर्यातकों द्वारा दावा किये गये समायोजनों पर प्राधिकारी ने विधिवत रूप से विचार किया है।

53. तदनुसार, संबंधित सीएनवी से तुलना के लिए एनईपी को पीसीएन वार ज्ञात किया गया है और उसके बाद भारित औसत परिकलित किया गया है। भारत को निर्यात के

लिए निर्धारित भारित औसत निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पैराग्राफों में तालिका के अनुसार पाटन मार्जिन में दर्शाये गये अनुसार है।

ज. <u>पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

54.पीसीएन वार परिकलित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात के आधार पर प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यात के लिए पाटन मार्जिन को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक	मात्रा	सीएनवी	एनईपी	पाटन मार्जिन		
		एमटी	यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	यूएस डॉलर/कि. ग्रा.	यूएस डॉलर /कि. ग्रा.	%	%रेंज
1	जिआंगसु जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी, लिमिटेड/ झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड/ झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड/ हेइलोंगजियांग किंगडम एंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
2	यिक्सिंग सनशाइन लिनेन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
3	हेइलोंगजियांग यान्शोउजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
4	क्रम संख्या 1-3 में उत्पादकों के अलावा कोई अन्य	***	***	***	***	***	25-35

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन</u>

झ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

55.क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

i. यहां तक कि संबद्ध आयातों के कारण आवेदकों ने भी क्षति का दावा नहीं किया था बल्कि एडीडी के कारण सुधार बताया है कि और यह कि संरक्षण आवश्यक है

क्योंकि उद्योग एक नाज़ुक स्थिति में है। भारतीय उद्योग की स्थिति उस स्तर तक सुधर गई जहां भारतीय विनिर्माताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। बाजार आसूचना के आधार पर प्रतिवादियों ने घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की औसत बिक्री कीमतों को देखा है जिनका सत्यापन प्राधिकारी कर सकते हैं।

ii. घरेलू उद्योग कीमत संवेदनशीलता के अनुसार कमजोर नहीं है। भारतीय उत्पादकों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। यह इतनी अधिक है कि अन्य भारतीय विनिर्माता निर्यातकों तथा आवेदकों की कीमत में कटौती कर रहे हैं।

iii. यह कानूनी रूप से अव्यवहारिक अनुरोध है कि यदि एक शर्त पूरी होती है तो शुल्क नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि कोई एक कारक वास्तविक क्षति के जारी रहने की संभावना के निर्धारण के लिए निर्णायक मार्गदर्शन नहीं हो सकता है।

iv. आवेदक का यह तर्क गलत है कि किसी भी प्रतिवादी ने संभवाना या क्षति के खतरे के विरूद्ध तर्क नहीं दिया है। प्रतिवादी ने दिनांक 20 जून, 2023 को मौखिक सुनवाई के दौरान और लिखित अनुरोध में भी क्षति की संभावना या खतरे के विरूद्ध तर्क दिये हैं।

v. यह प्रमाण देने का दायित्व आवेदकों का है कि क्षति की संभावना सिद्ध की जाए। तथापि, आवेदक कोई सकारात्मक साक्ष्य देने में विफल रहे हैं। आवेदक केवल क्षति की संभावना बताने के लिए मात्र आरोप या सुदूर संभावनायें दर्शा रहे हैं। यह यूएई से पाकिस्तान - बियाग्जली ओएंटेड पॉलीप्रापाइलीन फिल्म में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट और मैक्सिकों से यूएस - ऑयल कंट्री टुबुलर गुड्स (ओसीटीजी) में डब्ल्यूटीओ आपीलीय निकाय की रिपोर्ट का उल्लंघन है।

vi. प्राधिकारी को एनआईपी के परिकलन के लिए पीओआई के दौरान आवेदक की औसत उत्पादन लागत का प्रयोग करना चाहिए और न कि उत्पादन लागत का। यह बात एडी नियमावली के अनुबंध-III के पैरा 3 और 4 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। घरेलू उद्योग की पीओआई के लिए उत्पादन लागत से संबंधित वास्तविक आंकड़ों पर केवल एनआईपी के निर्धारण में विचार करने की आवश्यकता है।

vii. घरेलू उद्योग ने स्वयं बताया है कि कोई कीमत न्यूनीकरण या ह्रास नहीं हुआ है। उन्होंने यह नहीं दर्शाया कि शुल्क की समाप्ति पर आयातों के कारण कीमत ह्रास/न्यूनीकरण कैसे हो सकता है।

viii. प्राधिकारी को अलग-अलग घरेलू उत्पादकों की एनआईपी के भारित औसत पर विचार करना चाहिए और समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए भारित औसत

एनआईपी की गणना हेतु संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का संबंधित हिस्सा लेना चाहिए।

ix. आवेदकों की लाभप्रदता में वर्तमान संख्या की पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, चीन जन. गण. से आयात और लाभप्रदता के बीच कोई संबंध नहीं है। इस अवधि में बाजार हिस्सा भी स्थिर रहा है। अन्य उत्पादक अपना हिस्सा बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। आवदेकों तथा भारतीय बाजार में उनके प्रतिस्पर्धियों के निष्पादन की विफलता के लिए आयात जिम्मेदार नहीं है। घरेलू उद्योग निर्यात करने का इरादा रखता है और वह काफी लाभप्रद ढंग से निर्यात बाजारों में व्यापार कर रहा है। भारतीय उद्योग का फोकस उसकी अपनी आबद्ध खपत और निर्यात बाजार हैं।

x. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि में स्थिर रहा है और संबद्ध देश या अन्य देशों से आयात इतने कम रहे हैं कि उनसे घरेलू देश के बाजार हिस्से पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

xi. वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क पांच वर्षों से लागू है। घरेलू उद्योग और भारतीय उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में तब से काफी सुधार हुआ है। अब भारत में संबद्ध वस्तु के 8 घरेलू उत्पादक हैं जो वर्ष 2018 में मूल जांच के दौरान चार घरेलू उत्पादकों के मुकाबले काफी अधिक वृद्धि है।

xii. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में पूरी क्षति अवधि में जबरदस्त वृद्धि हुई है, परंतु ब्याज की उच्च लागत के कारण उसका पीबीटी कम हुआ है।

xiii. चीन के आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बराबर है। उक्त तालिका में दी गई 0-10 प्रतिशत की कीमत कटौती की व्यापक रेंज बहुत कम या शून्य कीमत कटौती को केवल छुपाने के लिए है। इसके अलावा, चीन से इतनी अधिक पहुंच कीमत जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से तुलनीय है, को देखते हुए कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण बिल्कुल सोच से बाहर है। किंगडम ग्रुप के लिए आयातित वस्तु का पहुंच मूल्य उच्चतर है [उच्चतर और कुछ मामलों में घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों के बिक्री कीमत के समतुल्य]।

xiv. कोई मात्रात्मक प्रभाव या कीमत प्रभाव नहीं है। आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ है।

xv. हेइलोंगजियांग यान्शोउजिजिया के लिए पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क की दर का पुन: परिकलन किया जाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने मूल जांच के दौरान निर्यात नहीं किये थे और केवल एसएसआर में किये थे। यदि प्राधिकारी शुल्क की सिफारिश करना चाहते हैं तो उन्हें अनुबंध 3 के साथ पठित नियम 23(1), नियम 23(3), नियम 4(घ) और नियम 17(1) पर विचार करना चाहिए और पाटन मार्जिन की गणना करते समय इसे शामिल करना चाहिए। ऐसी जांचों जिनमें पाटनरोधी शुल्क एसएसआर जांच में घटा या बढ़ा था कि सूची और ऐसी जांचों जहां प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क हटाया गया था, की सूची खंडन अनुरोध में पृष्ठ 7 और 8 पर दी गई है।

xvi. घरेलू उद्योग बांग्लादेश से उत्पाद का आयात कर रहा है जिसके वह पाटित होने का दावा करता है, से संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग स्वयं को क्षति पहुंचा रहा है।

xvii. सिनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहा था और जिसे इस वर्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० ने अधिग्रहीत कर लिया था, के वित्तीय कुप्रबंधन के लिए निर्यातकों और आयातकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xviii. सिनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक दिवालिया और ऋण शोधन अक्षम कंपनी होने के नाते काफी उच्च ब्याज लागत चुकाता है। ब्याज लागतों को सामान्य बनाना पूर्व जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी की प्रथा रहा है। जैसा कि सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल मामले में माना गया था।

xix. घरेलू उद्योग को कथित क्षति चीन जन. गण. के बजाय अन्य कारणों की वजह से हुई है।

xx. एकाधिकारी प्रक्रिया अपनाने और प्रभुत्व शक्ति का दुरूपयोग करने के लिए ग्रासिम पर सीसीआई द्वारा जुर्माना लगाने में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी जिससे संबद्ध वस्तु का कथित पाटन हुआ है और याचिकाकर्ता प्राधिकारी को यह बताने में विफल रहे थे।

xxi. वे अपने ऊपर क्षति आरोपित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि बांग्लादेश से आयात, पाटित आयात कैसे हैं।

झ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

56.क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

i. चीन जन. गण. से मूल मामले अर्थात 2014-2017 के दौरान अधिक मात्राओं की तुलना में 2019-20 आयातों में गिरावट आई है। पीओआई सहित 2020-21 के बाद से आयातों में एक बार फिर वृद्धि हुई है।

ii. चीन के आयात अब भी भारत में कुल आयातों का लगभग 82 प्रतिशत हैं।

iii. चीन में किंगडम ग्रुप (संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा निर्यातक) ने इथियोपिया में क्षमताएं स्थापित की हैं और इसलिए इथियोपिया से आयात चीन के छद्म आयात हैं जिनकी कीमतें चीन की कीमतों से तुलनीय हैं।

iv. भारतीय उत्पादन और खपत की दृष्टि से चीन के आयातों में 2018 में शुल्क लगने के बाद काफी गिरावट आई है। तथापि, उसके बाद इनमें वृद्धि शुरू हो गई है और अब काफी अधिक है।

v. आयातों से केवल इसलिए भारी क्षति नहीं हुई थी क्योंकि शुल्क मौजूद थे।

vi. आयातों के कारण घरेलू बाजार में कीमत कटौती हो रही है। तथापि, लागू शुल्कों में आयातों को पीओआई में बाजार में कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं करने दिया है।

vii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है, उच्च आयात मात्राओं के साथ पीसीएन में उच्चतर है। एडीडी के अभाव में बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ेगा।

viii. मूल जांच से घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के बाद भारतीय उद्योग अब भारतीय मांग को पूरा करने में पर्याप्त है। इसके बावजूद आयातों के बाजार हिस्से में वर्तमान क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ix. संबद्ध देश से आयातों में पहले गिरावट आई, परंतु इसके बाद निरंतर बढ़ते रहे हैं। इसके अलावा, वर्तमान पीओआई में आयातों की मात्रा काफी अधिक बनी रही है।

x. उद्योग के आरओआई में सुधार हुआ है। तथापि, अब भी यह प्राधिकारी द्वारा समझे गये तर्कसंगत स्तरों से कम है। डीआई को वर्तमान क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में घाटा उठाना है, डीआई अब पाटन पूर्व अवधि अर्थात 2014-15 के लाभ के आसपास अब वापस आ गया है। नकद लाभ में भी यही रूझान है।

xi. मालसूची में आयातों में वृद्धि के साथ पीओआई में पुन: वृद्धि हुई है।

xii. शुल्क लागू होने से सकारात्मक वृद्धि हुई थी। तथापि, घरेलू उद्योग अब भी नाजुक स्थिति में है और क्षति के प्रति कमजोर है।

xiii. पाटन मार्जिन अब भी सकारात्मक और काफी अधिक है।

xiv. यदि शुल्क समाप्त हो जाता है तो संबद्ध देश से आयातों में और अधिक वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद की कीमत में कटौती करने को बाध्य होना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ेगा।

xv. यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें घटाने को बाध्य होता है तो उसका स्वाभाविक प्रभाव घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर पड़ेगा और परिणामस्वरूप आरओआई और नकद लाभों पर पड़ेगा।

xvi. यदि घरेलू उद्योग कीमतों के वर्तमान स्तर को बनाये रखना चुनता है तो उसे भारी कीमत कटौती पर विचार करते हुए प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव को झेलना पड़ेगा।

xvii. यदि घरेलू उद्योग बिक्री मात्राएं गंवाने को चुनता है तो उससे और अधिक क्षति होगी। क्षति मात्रा में गिरावट के परिणामस्वरूप मालसूची के स्तर में वृद्धि होगी और उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में परिणामी गिरावट आएगी।

झ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

57.प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

58.सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम धारा 9(क)(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाये तो उसे लागू किये जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है। बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार एक समीक्षा में यह राय व्यक्त करती है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय-समय पर शुल्क लागू होने की अवधि को आगामी पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी आगामी अवधि समय बढ़ाने के आदेश की तारीख से आरंभ होगी।

59.प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि यह पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। इसलिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के जारी रहने तथा वास्तविक क्षति के जारी रहने या उसके पुनरावृत्ति की संभावना की जांच संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के वास्तविक और संभावित आयातों के संदर्भ में की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों में मूल जांच के मुकाबले गिरावट आई है। तथापि, आयातों में वर्तमान क्षति अवधि के आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है।

60.इस संबंध में, प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुये प्राधिकारी ने सर्वप्रथम संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावना पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. मांग का आकलन

61.प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में संबद्ध वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रातों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	आबद्ध सहित घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*64*	*107*	*118*
2	आबद्ध सहित समर्थकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*82*	*114*	*132*
3	अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*67*	*116*	*117*
4	संबद्ध देश से आयात	एमटी	3,167	2,061	3,315	3,455
5	अन्य देशों से आयात	एमटी	186	110	557	830
6	आबद्ध सहित कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*68*	*111*	*123*

7	आबद्ध को छोड़कर कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*69*	*108*	*120*

62.यह देखा गया है कि पीयूसी की मांग में आधार वर्ष से 2020-21 में गिरावट आई है और उसके बाद पीओआई तक वृद्धि हुई है।

ii. आयात की मात्रा और संबद्ध देश से आयात का हिस्सा

63.संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	3,167	2,061	3,315	3,455
2	अन्य देश से आयात	एमटी	186	110	557	830
3	कुल आयात	एमटी	3,353	2,172	3,873	4,285
4	भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
5	भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***

64.यह देख गया है कि:

क. संबद्ध देश से आयातों में मूल जांच अवधि से गिरावट आई है। वर्तमान क्षति अवधि में आयातों में 2020-21 में गिरावट आई है और उसके बाद क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. उत्पादन और खपत की दृष्टि से आयातों में मामूली गिरावट आई है। तथापि, ये काफी अधिक रहे हैं।

65.घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उद्योग द्वारा क्षमता बढ़ाने के के बावजूद अब भी आयातों का घरेलू खपत में काफी अधिक हिस्सा है।

iii. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

66.कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे पाटित आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी अधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।

iv. कीमत कटौती

67. आयातों की पहुंच कीमत के साथ जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना द्वारा कीमत कटौती ज्ञात की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग से कीमत कटौती निर्धारित की गई है और उसके बाद समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित की गई है। भारित औसत कटौती गणना निम्नानुसार है:

पीओआई	**मात्रा एमटी**	**पहुंच मूल्य रू/कि.ग्रा.**	**एनएसआर रू/कि.ग्रा.**	**कीमत कटौती (रू/कि.ग्रा.)**	**कीमत कटौती (%)**
संबद्ध देश	3,455	1,424	***	***	0-10

68.प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान भारित औसत कटौती सकारात्मक रही है।

v. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन

69.प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत ज्ञात की है और उसे कम कीमत पर बिक्री की मात्रा का पता लगाने के लिए आयातित वस्तु की पहुंच मूल्य के साथ उसकी तुलना की है। प्रत्येक पीसीएन के लिए कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन अलग से निर्धारित किया गया है और उसके बाद समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित किया गया है।

70.नीचे तालिका से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन सकरात्मक है जो दर्शाता है कि आयातों ने क्षतिकारी कीमत पर बाजार में प्रवेश

किया है। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का मूल्यांकन भी निम्नानुसार किया गया है:

देश	उत्पादक	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	भारित औसत	यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	%	रेंज
चीन जन. गण.	जिआंगसु जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी, लिमिटेड/ झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड/ झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड/ हेइलोंगजियांग किंगडम एंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
	यिक्सिंग सनशाइन लिनेन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
	हेइलोंगजियांग यान्शोउजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
	अन्य	***	***	***	***	15-25
समग्र रूप से चीन जन. गण.		***	***	***	***	ऋणात्मक

vi. कीमतह्रास और न्यूनीकरण

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत और क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्री की लागत	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*90*	*93*	*105*

3	बिक्री कीमत	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*110*	*122*

72.यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में शुरूआत में गिरावट आई है, परंतु पीओआई में आधार वर्ष से भी अधिक बढ़ गई है और बिक्री कीमत में निरंतर वृद्धि हुई है। इस प्रकार आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पीओआई में चीन जन. गण. के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य 1,424 रूपये/कि.ग्रा. है जो भारित औसत बिक्री कीमत के स्तर से कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कटौती हुई है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

73.नियमावली में अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पाकदता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग पर वास्तविक या संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

74.उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और निर्यात के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	उत्पादन - कुल	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*61*	*115*	*125*

3	उत्पादन - पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*61*	*116*	*126*
4	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*61*	*115*	*125*
5	घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*64*	*104*	*116*
6	निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*42*	*137*	*168*

75.प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति अवधि के दौरान समान स्तर पर रही है। 2020-21 कोविड अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई थी परंतु उसके बाद सुधार हुआ था।

76.क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में समर्थकों द्वारा प्रदत्त सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*100*	*100*	*110*
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*84*	*120*	*119*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*84*	*120*	*107*
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*87*	*102*	*122*

77.यह देखा गया है कि समर्थकों की क्षमता में वृद्धि हुई है। समर्थकों के उत्पादन और बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

78.क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बाजार हिस्स	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*93*	*96*	*96*
2	समर्थकों की बिक्री	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*121*	*102*	*108*

3	अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*98*	*104*	*95*
4	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*95*	*94*	*89*
5	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*87*	*269*	*363*
6	कुल मांग	%	100	100	100	100

79.मूल जांच के बाद अनेक नये उत्पादकों ने भारत में मांग पर विचार करते हुए उत्पादन क्षमताएं स्थापित की थी। यह बताया गया है कि भारतीय उद्योग की क्षमता अब भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में मूल जांच से वृद्धि हुई है और चीन के हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग के पास अब लगभग पूरी भारतीय मांग की पूर्ति करने की क्षमता होने के बावजूद संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक बना हुआ है। संबद्ध आयातों के पास अब भी घरेलू मांग का *** प्रतिशत हिस्सा है । जबकि घरेलू उद्योग की क्षमताओं का ईष्टतम स्तर पर उपयोग नहीं है।

iii. लाभ या हानि, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

80.लाभ या हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*90*	*93*	*105*
2	बिक्री कीमत	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*110*	*122*
3	लाभ/(हानि)	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-52*	*167*	*176*
4	लाभ/(हानि)	रू लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-33*	*173*	*205*
5	पीबीआईटी	रू लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*13*	*319*	*425*
6	नकद लाभ	रू लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*321*	*1,481*	*1,671*
7	आरओसीईई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*13*	*325*	*449*

81.प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के आरंभिक दो वर्षों में घाटा उठाना पड़ा है जिसके लिए उद्योग ने कोविड के साथ ही याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक में उच्च ब्याज लागत और तदनुसार कम बिक्री मूल्य को जिम्मेदार ठहराया है।

ख. तथापि, घरेलू उद्योग को पीओआई सहित 2021-22 के बाद से लाभ होना शुरू हुआ।

ग. घरेलू उद्योग नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय में भी समान प्रवृत्ति रही है और क्षति अवधि में इनमें वृद्धि हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि पीओआई में आरओआई उच्चतम स्तर पर रहने के बावजूद तर्कसंगत स्तर से कम रही है।

iv. मालसूची

82.संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*57*	*75*	*82*

83.यह नोट किया गया है कि औसत मालसूची में 2020-21 में गिरावट आई और तत्पश्चात क्षति अवधि में वृद्धि हुई।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

84.क्षति अवधि दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	मजदूरी	रू. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*91*	*120*	*127*
2	रोजगार	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*78*	*93*	*98*
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*61*	*116*	*126*

4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	प्रति सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*79*	*125*	*129*

85.यह देखा गया है कि मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि हुई है परंतु क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है।

vi. वृद्धि

86.घरेलू उद्योग के मात्रा और लाभ मापदंडों की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गई है।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
1	उत्पादन	%	-	-39%	89%	9%
2	घरेलू बिक्रियां	%	-	-36%	62%	12%
3	प्रति यूनिट लाभ (कर पूर्व लाभ)	%	-	-48%	-420%	5%

87.यह नोट किया गया है कि पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और प्रति यूनिट लाभ में सकारात्मक वृद्धि रही है।

<u>कारणात्मक संबंध</u>

88.एडी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथायें और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यातक निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी इस बात की जांच करते हैं कि क्या पाटित आयातों से इतर कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण हो सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

89.अन्य देशों से आयात या तो कम है या चीन से उच्चतर कीमत पर है। इसके अलावा, बांग्लादेश से आयात कीमत कम है। तथापि, घरेलू उद्योग के निष्पादन में पीओआई में कोई क्षति प्रदर्शित नहीं हुई है और इसलिए तीसरे देश से आयात के कारण क्षति नहीं हो सकती है।

ख. मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में बदलाव

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके अलावा, खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं में किसी परिवर्तन का पता नहीं चला है।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

92. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में किसी बदलाव को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

93. यह नोट किया गया है कि आवदेकों के घरेलू निष्पादन के आधार पर क्षति विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा किये गये निर्यात उत्पादन की दृष्टि से अधिक नहीं रहे हैं।

च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन

94. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ञ. <u>पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना</u>

ञ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

95. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गये थे:

i. किंगडम ग्रुप के उत्पाद का प्रीमियम मूल्य है। उनका अपनी कीमतें कम करने का कोई इरादा नहीं है। वे भारत को उच्च कीमत पर निर्यात करते हैं और अपनी कीमतों में कमी करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि कच्ची सामग्री की कीमत पहले ही काफी अधिक है। भारत को किंगडम की कीमत कच्ची सामग्री की कीमत से काफी अधिक है।

ii. डीआई के डब्ल्यूएस के पैरा 4-10 में यह बताया गया है कि उनकी स्थिति में कैसे सुधार हुआ है। यह बात और आवेदक का यह कथन ''उपायों का प्रभाव न केवल भारतीय उद्योग के निष्पादन मापदंडों में प्रदर्शित होता है बल्कि अन्य मापदंडों में भी दिखाई देता है'', यह दर्शाता है कि एडीडी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है।

iii. कोई संभावना नहीं है क्योंकि कोई पाटन कोई अतिरिक्त या अधिशेष क्षमता नहीं है (जिसे प्रस्तुत ईक्यूआर से भी सत्यापित किया जा सकता है)। स्थानीय बाजार में पीयूसी की मांग में तैयार वस्तुओं के लिए वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है। स्थानीय बाजार और निर्यात बाजार में मांग पर विचार करते हुए कोई अतिरिक्त और अधिशेष क्षमताएं नहीं है। इसके अलावा, कोई कीमत ह्रास / न्यूनीकरण नहीं है और आवेदक ने मालसूची के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। आवेदकों ने अपनी जरूरतों के अनुरूप चीन में उनकी क्षमताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताया है।

iv. आवेदकों ने इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं दर्शायी है कि तीसरे देशों को कौनसे निर्यात संभावना के अनुरोध में प्रदत्त तालिका में विश्लेषण हेतु लिये गये हैं।

v. यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तु को उस कीमत से कम कीमत पर आयात किया जा रहा है जिस पर घरेलू बाजार में उसे बेचा जा रहा है और शुल्क समाप्त होने पर चीन के निर्यातक तीसरे देशों को अपने निर्यातों को भारतीय बाजार में भेज देंगे। इसका खंडन किया जाता है क्योंकि भारत चीन के निर्यातकों के लिए एक गौण बाजार है। चीन के उत्पादक भारत को अपाटित कीमतों पर निर्यात करते हैं और वे अपनी वस्तु की कीमत कम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। किंगडम ग्रुप द्वारा निर्यातित वस्तु का मूल्य प्रीमियम है।

vi आवेदकों ने पैराग्राफ 56 में दावा किया है कि किंगडम ग्रुप ने कोविड 19 के बावजूद 20,756, एमटी पीयूसी का उत्पादन किया है। तथापि, यह बात आवेदकों पर भी लागू होती है क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद उनके आर्थिक मापदंडों पर भी सुधार हुआ था।

vii. प्राधिकारी को चीन के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों और अनुरोधों के आधार पर संभावना निर्धारित करनी चाहिए। आंकड़े यह दर्शायेंगे कि चीन के निर्यातकों की कीमतें अधिक हैं और निर्यात मात्रा में गिरावट आई है क्योंकि सहयोगी निर्यातकों के लिए भारत एक गौण बाजार है।

viii. एडीडी की समाप्ति पर क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा बताये गये कारण पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमत प्राप्ति और कीमत प्रवृत्यिों द्वारा समर्थित नहीं हैं।

ix. भारत में मजबूत घरेलू उद्योग और उनके बीच काफी अधिक परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय बाजार किंगडम ग्रुप के लिए एक सूक्ष्म बाजार बन गया है।

x. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि किंगडम ग्रुप के पास काफी अधिक ऐसी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जिन्हें एडीडी को हटाये जाने पर भारत की ओर भेज दिया जाएगा।

xi. इथियोपिया में चीन के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा भविष्य में भारत में पाटन शुरू करने की संभावना गलत है क्योंकि इथियोपिया से आयात कम हैं।

xii. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है क्योंकि कोई पाटन नहीं हुआ था। मांग में वृद्धि के साथ आयातों और याचिकाकर्ताओं के बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ताओं के आर्थिक मापदंडों में भी भारी वृद्धि हुई है। जैसा कि याचिकाकर्ताओं के लिखित अनुरोध के पैरा 4 से 10 में दर्शाया गया है।

xiii. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं संबंधी याचिकाकर्ताओं का दावा निराधार और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। क्षमता उपयोग 70 प्रतिशत के स्तर पर है जिसमें से केवल पांच प्रतिशत का भारत को निर्यात किया जाता है।

xiv. याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना चाहिए कि भारत को अधिशेष क्षमताओं को भेजे जाने की संभावना है। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2004 (170) ईएलटी 144 में यह निर्णय हुआ था कि केवल अधिशेष

उत्पादन क्षमता की मौजूदगी को घरेलू उद्योग को क्षति के भावी और आसन्न स्पष्ट खतरे के रूप में नहीं माना जा सकता है।

xv. याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि सामग्री की ऐसी काफी मात्रा है जिसे सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बेचा गया है, निराधार है क्योंकि यदि उत्पादों को तीसरे देशों में पाटित किया गया था तो ऐसे देशों द्वारा उनके विरूद्ध जांच शुरू कर दी जानी चाहिए थी। तथापि, ऐसी कोई जांच शुरू नहीं हुई है।

ञ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

96. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन से निरंतर पाटन और क्षतिकारी निर्यात हुए हैं। शुल्क लगाये जाने के बाद 2019-20 में आयातों में गिरावट आई है। तथापि, शुल्क लागू होने के बावजूद पीओआई में आयात आधार वर्ष के आयातों के 245 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गये हैं।

ii. चीन के पास काफी अधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है। चीन के उत्पादकों के पास ज्ञात क्षमता लगभग 1 लाख एमटी है। चीन के उत्पादकों के पास भारतीय मांग से काफी अधिक क्षमता मौजूद है।

iii. चीन काफी अधिक निर्यातोन्मुख है। वह पीयूसी का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है।

iv. संबद्ध देश के पास विशाल क्षमता के साथ उनका निर्यातोन्मुख होना भारतीय उद्योग के लिए काफी बड़ा खतरा है। वैश्विक रूप से संबद्ध वस्तु के लगभग 28000 एमटी के निर्यात हैं।

v. संबद्ध देश में निर्यातकों के पास क्षमता काफी अधिक अल्प प्रयुक्त है क्योंकि उसे घरेलू मांग से काफी अधिक बनाया गया है। इस प्रकार, संबद्ध देश में उत्पादक अपनी क्षमता के उपयोग के लिए हमेशा अनुकूल बाजारों की तलाश में रहते हैं।

vi. यूरोपीय कंफेडरेशन फ्लेक्स एंड हेंप ने अपने प्रकाशन में यह बताया है कि चीन के उत्पादकों के पास लगभग 1,00,000 स्पिन्डल्स अप्रयुक्त पड़े हैं जो लगभग 20,000 एमटी उत्पादन करते हैं जो समूची भारतीय मांग के बराबर है। इन्हें आसानी से भारत को भेजा जा सकता है।

vii. चीन में उत्पादक काफी निर्यातोन्मुखी हैं। 2020 में चीन ने 163 एम डॉलर के फ्लैक्स यार्न का निर्यात किया था, यह विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है।

viii. पीओआई में चीन के उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को पाटित निर्यात भारतीय मांग के संबंध में लगभग 40 प्रतिशत बनते हैं।

ix. पीओआई में तीसरे देशों को निर्यात भारत में कीमत से कम कीमत पर हुये थे। तीसरे देशों को निर्यातों का लगभग 118 प्रतिशत भारतीय मांग के संबंध में कीमत आकर्षक मात्रा है।

x. पीओआई में तीसरे देशों को चीन के निर्यातों की कीमतों के साथ एनआइपी की तुलना की गई है। तदनुसार, आयातों का 14 प्रतिशत भारतीय मांग की दृष्टि से मात्रा के रूप में क्षतिकारी है।

xi. भारतीय बाजार काफी कीमत संवेदनशील है। कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ेगा।

xii. कोविड-19 के बावजूद चीन जन. गण. से आयातों की काफी भारी मात्रा आई है।

xiii. भारतीय बाजार अब भी बिल्कुल आरंभिक अवस्था में है और इसलिए वह उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता की दृष्टि से काफी कमजोर है।

xiv. घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग की स्थिति अब भी कमजोर है जैसा कि बताये गये पीओआई के बाद के निष्पादन से स्पष्ट है जो दर्शाता है कि उद्योग ने घाटा उठाना शुरू कर दिया है।

xv. चीन ने आधार वर्ष को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में लगभग 20 प्रतिशत का हिस्सा बनाये रखा है जिसे किसी भी तरह कम नहीं कहा जा सकता है। ऐसा

तब हुआ है जब भारत में कोई मांग - आपूर्ति अंतर नहीं है और भारतीय उद्योग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम है।

xvi. संभावना का प्रश्न देश व्यापी निर्धारण का है और न कि कंपनी विशिष्ट निर्धारण का।

xvii. इथियोपिया में चीन के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा भविष्य में भारत में पीयूसी का पाटन शुरू करने की संभावना है।

xviii. चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा का मामला है इसलिए कारणात्मक संबंध की पुन: जांच करना और सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। कारणात्मक संबंध पहले ही मूल जांच में सिद्ध किया गया था। वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध के पुन: जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल संभावना की जांच करना आवश्यक है।

xix. किंगडम ग्रुप ने स्वयं दावा किया है कि भारत अनेकों बार उसके सबसे बडे बाजारों में से एक रहा है तथा भारत को आयातों की मात्रा में शुल्क लागू होने के कारण गिरावट आई थी और न कि किसी अन्य कारण की वजह से।

xx. इंडियन बेड एंड बाथ लिनेन बाजार के आकार के 2023 में 487,566 मिलियन रूपये से बढ़कर 2028 तक 716,372 मिलियन रूपये होने का अनुमान है और पूर्वानुमान अवधि (2023-2028) के दौरान 8.00 प्रतिशत की सीएजीआर पर बढ़ेगा। कम एलईए गणनायें उन पीसीएन के लिए हैं जिनमें वर्तमान क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की कम मात्रा रही है। इसका अर्थ होगा कि कमतर एलईए गणना के पीसीएन जिनके इस समय संबद्ध देश से कम और न्यूनतम आयात हैं, उनका बाजार बढ़ना शुरू करेगा। इससे भावी वर्षों में संबद्ध देश से पाटित आयातों में वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाती है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

97. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि यदि वर्तमान में कोई क्षति न होने पर भी पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो क्या पाटन और परिणामी क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति

होगी। इसमें यह विचार करना भी अपेक्षित है कि क्या लागू शुल्क क्षतिकारी पाटन को समाप्त करने का अपना लक्षित उद्देश्य पूरा कर रहा है।

98.यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने बताया है कि कोई क्षति जारी नहीं है, तथापि, यह मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की वजह से हुआ है जो क्षति का निवारण कर रहा है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। घरेलू उद्योग निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा है।

99.प्राधिकारी के संज्ञान में लाये गये सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई विभिन्न सूचना पर विचार किया है ताकि पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना का मूल्यांकन किया जा सके। प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा सूचित व्यापार के स्तर पर बीजक मूल्य पर विचार किया है।

100. ऐसा कोई संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारक बताये गये हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए अपेक्षित है। अर्थात:-

i. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की काफी अधिक दर जो काफी बढ़े हुये आयातों की संभावना दर्शाती है।

ii. निर्यातकों की पर्याप्त मुख्य रूप से निपटान योग्य, या आसन्न या काफी बढ़ी हुई क्षमता जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजार को काफी अधिक बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाती हो।

iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी अधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और उनसे आगे और निर्यातों की मांग में वृद्धि की संभावना है: और

iv. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

101. इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना पर प्रभाव डालने वाले अन्य संगत कारकों की भी जांच की है। संभावना के मापदंडों की जांच निम्नानुसार है:

क. संबद्ध देश से निरंतर आयात

102. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात में मूल जांच से गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के पास लगभग संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद आयात पूर्ण और सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है। घरेलू मांग का 17% अभी भी संबद्ध देश के पास है जब भारतीय उद्योग की क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है।

ख. संबद्ध देश में अधिशेष क्षमताएँ

103. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने एसएसआर प्रश्नावली उत्तर भाग-II में संबद्ध देश में मौजूद क्षमता नहीं बतायी है। घरेलू उद्योग ने साक्ष्य के साथ विभिन्न उत्पादकों की क्षमता संबंधी सूचना उपलब्ध करायी है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह टिप्पणी की है कि आवेदकों द्वारा सूचीबद्ध एक उत्पादक फ्लैक्स यार्न का उत्पादन नहीं करता है जिसे उचित पाया गया है और उस पर विचार नहीं किया गया है। जांच की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध करायी गई उत्पादकों की क्षमता संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

उत्पादक/निर्यातक	**क्षमता (टन में)**
किंगडम ग्रुप	***
हेइलोंगजियांग यान्शोउजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***
यिक्सिंग सनशाइन	***
जिनजियांग जिंगलिलै यार्नस कंपनी लिमिटेड	10,000
यिक्सिंग योंग्ये लिनेन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	14,600
ग्रेट ईस्टर्न टेक्सटाइल (टोंगलिंग) कंपनी लिमिटेड	2,000

चांगझोऊ मेयुआन फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	1,500
हेनन पिंगमियान टेक्सटाइल ग्रुप कंपनी, लिमिटेड	7,200
ज्ञात उत्पादकों की कुल क्षमता	69,834 एमटी
रेंज	60,000 -80,000 एमटी

**प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना पर प्रदत्त उत्तर के आधार पर विचार किया गया है।*

104. निर्यातकों द्वारा यथा प्रदत्त क्षमता और उत्पादन संबंधी सूचना निम्नानुसार दर्शायी गई है:

क्र. सं.	विवरण	पीओआई
1	**क्षमता (एमटी)**	
क	यान्शोउजिजिया	***
ख	यिक्सिंग सनशाइन	***
ग	झेजियांग किंगडम	***
घ	हेइलोंगजियांग किंगडम	***
ड.	जिआंगसु जिनयुआन	***
च	झेजियांग जिनयुआन	***
	कुल	**34,534**
2	**उत्पादन (पीयूसी + एनपीयूसी) (एमटी)**	
क	यान्शोउजिजिया	***
ख	यिक्सिंग सनशाइन	***
ग	झेजियांग किंगडम	***
घ	हेइलोंगजियांग किंगडम	***
ड.	जिआंगसु जिनयुआन	***
च	झेजियांग जिनयुआन	***
	कुल	**30,722**
3	**क्षमता उपयोग (%)**	
क	यान्शोउजिजिया	***
ख	यिक्सिंग सनशाइन	***

ग	झेजियांग किंगडम	***
घ	हेइलोंगजियांग किंगडम	***
ड.	जिआंगसु जिनयुआन	***
च	झेजियांग जिनयुआन	***
	कुल	**89%**

105. यह देखा गया है कि किंगडम ग्रुप के पास अतिरिक्त क्षमता ***एमटी है, यान्शोउजिजिया के लिए यह ***एमटी और यिक्सिंग सनशाइन के पास ***एमटी क्षमता है। प्रतिवादी निर्यातकों के पास संचयी अतिरिक्त क्षमता 3812 एमटी है।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि चीन संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। प्राधिकारी सीईएलसी अर्थात दि यूरोपियन कंफेडरेशन ऑफ फ्लैक्स एंड हेंप द्वारा यथा सूचित चीन में अतिरिक्त क्षमता संबंधी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त साक्ष्य को नोट करते हैं। 2022 में रिपोर्ट की गई अतिरिक्त क्षमता 1,00,000 स्पिन्डल्स है जो लगभग 20,000 एमटी बनती है।

ग. तीसरे देश को पाटन

107. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से निर्यात के संबंध में यह दर्शाने के लिए सूचना प्रस्तुत की है कि संबद्ध देश में उत्पादक पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। तथापि आंकड़े पीसीएन स्तर पर नहीं है और उनमें एनपीयूसी भी शामिल हो सकता है। अत: प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच की है। प्रतिवादियों द्वारा किये गये निर्यातों की तुलना आवश्यक समायोजनों के बाद प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात कीमत के साथ चीन के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य के साथ की गई है। निम्नांकित तालिका वास्तविक सूचना दर्शाती है।

विवरण	पीओआई
तीसरे देश को पाटित निर्यात **(एमटी)**	6,653
तीसरे देश को कुल निर्यात **(एमटी)**	14,956
पाटित निर्यातों का %	44%
भारतीय मांग के संबंध में पाटित निर्यात % में	30-40

भारतीय मांग **(एमटी)**	***

108. प्रतिवादी निर्यातक द्वारा सूचित कुल निर्यात 14,956 एमटी है। इसमें से 44 प्रतिशत निर्यात पाटित कीमत पर किये गये हैं। यह मात्रा भारतीय मांग का 32 प्रतिशत बनती है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर तीसरे देशों को ये पाटित निर्यात भारत को भेजे जाने की संभावना है।

घ. निर्यातों की क्षतिकारी मात्रा

109. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से निर्यातों के संबंध में यह दर्शाने के लिए सूचना प्रदान की है कि संबद्ध देश में उत्पादक भारत को क्षतिकारी कीमत पर अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। तथापि, यह डेटा पीसीएन स्तर पर नहीं है और इसमें एनपीयूसी को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इस प्रकार प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच की है। प्रतिवादियों द्वारा किए गए निर्यातों की कीमत की जांच की अवधि और क्षति अवधि के दौरान निर्धारित एनआईपी के साथ तुलना की गई है। नीचे दी गई तालिका में वास्तविक सूचना दर्शाई गई है।

विवरण	**पीओआई**
क्षतिकारी कीमत पर निर्यात (मी.टन)	6,138
अन्य देश को कुल निर्यात (मी.टन)	14,956
क्षतिकारी कीमत पर निर्यातों का %	41%
भारतीय मांग के संबंध में क्षतिकारी मात्रा %	25-35
भारतीय मांग (मी. टन)	***

110. प्रतिवादी निर्यातक द्वारा सूचित कुल निर्यात 14,956 एमटी है। इसमें से 41 प्रतिशत निर्यात क्षतिकारी कीमत पर किये गये हैं। जो भारतीय मांग के संबंध में लगभग 30 प्रतिशत बनता है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर तीसरे देशों को ये निर्यात भारत को भेजे जाने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को अपना बाजार हिस्सा बनाये रखने के लिए क्षतिकारी कीमत पर पीयूसी बेचना पड़ेगा और अंतत: घाटा उठाना पड़ेगा।

ङ. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षता

111. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए संबंद्ध देश से निर्यातों के संबंध में सूचना प्रदान की है कि संबद्ध देश में उत्पादन अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात उस कीमत के स्तर से नीचे के स्तर पर कर रहे हैं, जिस पर संबद्ध वस्तुएं भारत को निर्यात की जा रही हैं। तथापि, यह डेटा पीसीएन स्तर पर नहीं है और इससे एनपीयूसी को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इस प्रकार प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच की है। प्रतिवादियों द्वारा किए गए निर्यातों की विधिवत समायोजनों के बाद प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात कीमत के साथ चीन से भारत में की गई संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्धारित पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। नीचे दी गई तालिक में वास्तविक सूचना दर्शाई गई है:

विवरण	**जांच की अवधि**
भारत को निर्यात की कीमत से नीचे दिए गए निर्यात (मी. टन)	9,598
अन्य देश को कुल निर्यात (मी.टन)	14,956
भारत को निर्यात की कीमत से नीचे किए गए निर्यात का %	64%
भारतीय मांग के संबंध में कीमत आकर्षक मात्रा %	40-50
भारतीय मांग (मी. टन)	***

112. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा सूचित कुल निर्यात 14,956 मी. टन है। इन निर्यातों में 64% निर्यात ऐसी कीमत से नीचे किए गए हैं, जिस पर भारत को वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं। इस मात्रा में कुल भारतीय मांग के संबंध में 40-50% शामिल है।

113. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार यह नोट किया गया है कि प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा सूचित क्षमता ज्ञात उत्पादकों के पास क्षमता का लगभग आधा है। पाटित, क्षतिकारी और कीमत आकर्षक मात्रा जिसे भारतीय बाजार में भेजे जाने की संभावना है। वह चीन से काफी अधिक होगी।

पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष

114. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निम्निलिखित के कारण घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने और उसकी प्रनरावृति होने की संभावना है:

i. पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के परिणामस्वरूप, संबद्ध देश से आयात की मात्रा में 2021 में गिरावट आई है, और उसके बाद वृद्धि हुई और पूर्ण और सापेक्ष रूप में महत्वपूर्ण बनी हुई है।

ii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का आकलन करने के लिए, फालतू क्षमता, पाटित निर्यातों, क्षतिकारी निर्यातों, निर्यात उन्मुखीकरण और कीमत की आकर्षकता पर विचार किया है। प्राधिकारी नियमों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का मूल्यांकन करते समय इन कारकों को लगातार देखता रहा है। इस वर्तमान मामले में, चूंकि चीन जन.गण. में सहयोगी निर्यातकों की भारित औसत क्षमता का उपयोग 89% है, अतः भारत के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातों का अन्य देश को विपथन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उपरोक्त के बावजूद, प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमताएं चीन में ज्ञात क्षमता की आधी हैं और यहां तक कि मौजूदा फालतू क्षमता भारत में मांग की तुलना में काफी महत्वपूर्ण हैं। 20,000 मी. टन की अधिक क्षमता के बारे में सूचित साक्ष्य भारत में समग्र व्यापार बाजार की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

iii. चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तुओं के आयातों की संभावना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. से अन्य देशों को सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के करीब 44% निर्यात पाटित कीमत पर हैं। कुल भारतीय मांग की तुलना में अन्य देशों के संबद्ध वस्तुओँ के 30-40% निर्यात पाटित कीमतों पर है।

iv. चीन जन.गण. के संबंध में, चीन जन.गण. से अन्य देशों को सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के करीब 41% निर्यात क्षतिकारी मात्रा में है। संबद्ध वस्तुओं के 25-35% अन्य देश के निर्यात भारतीय मांग के संबंध में क्षतिकारी मात्रा में हैं।

v. इसके अलावा, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. से सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा संबद्ध

वस्तुओं के निर्यातों का करीब 64% ऐसे कीमत से नीचे के स्तर पर है। जिस पर संबद्ध वस्तुएं भारत को निर्यात की गई हैं। इस मात्रा में कुल भारतीय मांग के संबंध में 40-50% शामिल हैं।

vi. इसके अलावा, कुल भारतीय मांग की तुलना में चीन की निष्क्रिय क्षमता एक महत्वपूर्ण मात्रा है।

vii. सहयोगी उत्पादक/निर्यातक अपने उत्पादन के एक महत्वपूर्ण भाग का उपरोक्त निर्यात के उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, जो संबंधित देश के उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यात उन्मुखी होने को दर्शाता है।

ट. <u>प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां</u>

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

115. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण उपरांत के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i. "हेइलोंगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि." और "हेइलोंगजियांग किंगडम लिनेन कं. लि." एक ही कंपनी से संबंधित है, उसका अंग्रेजी नाम "हेइलोंगजियांग किंगडम लिनेन कं. लि." है, लेकिन निर्यात गतिविधियों के लिए कंपनी हेइलोंगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि. नाम का उपयोग करती है। लिनेन कं. लि. नाम व्यापार लाइसेंस पर दिखाई देता है और इसे ईक्यूआर में प्रस्तुत किया गया था।

ii. चीन में प्रत्येक कंपनी के पास यूनीक यूनिफार्म सोशल क्रेडिट कोड है। चूंकि दोनों एक ही कानूनी संख्या के नाम हैं, अतः देश का यूनिफार्म सोशल क्रेडिड कोड समान है।

iii. "हेइलोंगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि." नाम का प्रयोग कंपनी द्वारा निर्यात गतिविधियों के लिए किया जाता है। चीन में निर्यातकों को चीनी और अंग्रेजी नाम के साथ चीनी अधिकारियों से विदेशी व्यापार ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण प्राप्त करना होगा। कंपनी द्वारा एक घोषणा यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत की गई थी कि दोनों वास्तव में एक ही संस्था हैं।

iv. हेइलोंगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि. नाम को शुल्क तालिका में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह भारत के निर्यात दस्तावेज में दिखाई देता है।

v. यह स्पष्ट किया जाता है कि झेजियांग किंगडम के मामले में डीजी सिस्टम डेटा व्यापारियों/ निर्यातकों के नाम दर्ज करेगा, जैसे झेजियांग जिनयुआन

फ्लेक्स कं. लि. और जियांग्सू जिनयुआन फ्लेक्स कं. लि.। यहां तक कि मूल जांच में झेजियांग किंगडम ने केवल संबंधित पक्षकार के माध्यम से निर्यात किया था।

vi. केवल इसीलिए कि एक चीनी कंपनी ने इथियोपिया में निवेश किया है और इथियोपियाई कंपनी ने भारत को विचाराधीन वस्तुओं का निर्यात किया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इथियोपियाई संख्या की निर्यात कीमतें स्वतः खराब हो गई हैं।

vii. भारत या डब्ल्यूटीओ के किसी अन्य सदस्य देश द्वारा इथियोपिया से विचाराधीन वस्तुओं के निर्यात के खिलाफ कोई पाटनरोधी शुल्क या यहां तक कि कोई पाटनरोधी जांच भी नहीं इसलिए प्राधिकारी को अपने तर्क में यह स्थापित करने की जरूरत है कि इथियोपिया में किसी अन्य देश द्वारा केवल निवेश से इथियोपिया से भारत को निर्यात की कीमतें कैसे खराब हो सकती हैं।

viii. सब्सिडी की मौजूदगी के केवल आरोप से स्वचालित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ऐसे देश से निर्यात मूल्य खराब है।

ix. यहां तक कि यदि आवेदक उन सभी पीसीएन का उत्पादन नहीं करता है, जो जांच के अधीन हो सकते हैं, तो प्राधिकारी पीसीएन के समान उपलब्ध निर्यात मूल्य के आधार पर ऐसे पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य का विस्तार कर सकता है। बंगलादेश से निर्यात के लिए वर्तमान जांच में भी प्राधिकारी द्वारा ऐसा किया जा सकता है।

x. धारा 9क (6क) के अनुसार, प्राधिकारी सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य से संबंधित निर्यातक या उत्पादक के रिकार्ड के आधार पर पाटन के मार्जिन को निर्धारित करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। चूंकि किंगडम ग्रुप बाजार में अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं कर रहा है, अतः किंगडम ग्रुप का निर्यात मूल्य किंगडम ग्रुप के चार निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जो इसके रिकार्ड के आधार पर दाखिल किए गए थे।

xi. कानून केवल उस मामले में “उपलब्ध तथ्यों” मानक के लागू होने को अनिवार्य करता है, जहां निर्यातक या उत्पादक निर्यात मूल्य की गणना के लिए रिकार्ड या जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है।

xii. विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जिन निर्यात लेन देन को मंजूरी दी गई थी, उन्हें किंगडम ग्रुप के लिए कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य, भूमि मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए।

xiii. संबद्ध वस्तुओं का आयात और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुएं एसईजैड ग्राहकों को बिक्री के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और इस प्रकार, सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा में है। अतः प्राधिकारी की यह टिप्पणी सही नहीं है कि संबद्ध वस्तुओं का आयात घरेलू उपयोग के लिए नहीं है।

xiv. संबद्ध वस्तुएं, चाहे वे आयातित हों या डीटीए से प्राप्त की गई हों, एसईजैड में खपत हो रही हैं और यह केवल तैयार वस्तुओं जैसे सन फौब्रिक है, जो घरेलू उपयोग के लिए नहीं है और ऐसी तैयार वस्तुओं को एसईजैड बाहर निर्यात किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी को किंगडम ग्रुप द्वारा अपने निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों में सूचित किए गए सभी लेन देन पर विचार करना चाहिए, चाहे डीटीए या एसईजैड में भारतीय ग्राहकों द्वारा बेची गई हों।

xv. यहां तक कि मूल जांच में किंगडम ग्रुप ने भारतीय एसईजैड में स्थित ग्राहकों को निर्यात किया था और प्राधिकारी द्वारा किंगडम ग्रुप के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने पर विधिवत विचार किया गया था। मूल जांच के बाद से कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

xvi. डीजी सिस्टम आयात डेटा संबद्ध वस्तुओं के लेनदेन को पूरी तरह से रिकार्ड नहीं करता है। प्राधिकारी डीजी सिस्टम से उनके आयात डेटा में किसी भी कमी के कारकों के बारे में मांग कर सकते हैं।

xvii. एसईजैड यूनिट को किए गए निर्यात और ऐसी एसईजैड यूनिटों से डीटीए को मंजूरी को "एसईजैड ऑनलाइ" पोर्टल में दर्ज किया जाता है। भारत सरकार की इन दो डेटा संग्रहण एजेंसियों के रिकार्ड को अलग करना एक कारण हो सकता है कि एसईजैड में आयात वर्तमान मामले में डीजी सिस्टम के आयात संबंधी डेटा में नहीं दर्शाया गया है।

xviii. निर्यात कीमत की गणना करने के लिए केवल एसईजैड बिक्रियों को बाहर करने का प्राधिकारी का निर्णय पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 और पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक I क पैरा (6) I में प्रदत्त उचित तुलना के सिद्धांत का उल्लंघन है।

xix. प्राधिकारी ने प्रतिवादी द्वारा एसईजैड यूनिटों को की गई बिक्री को हटाकर प्रतिवादी के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। तथापि, घरेलू उद्योग के

सामान्य मूल्य और क्षतिरहित मूल्य की गणना करते समय प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई अवलोकन नहीं किया गया है।

xx. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में सूचित किए गए निर्यात और डीजी सिस्टम के आयात संबंधी डेटा में आयात में अंतर निम्नलिखित कारणों से हो सकता है:

xxi. किंगडम ग्रुप द्वारा एसईजैड में स्थित यूनिटों को की गई बिक्री डीजी सिस्टम के आयात डेटा में दिखाई नहीं दे सकती।

xxii. विचाराधीन उत्पाद का एफटीडब्ल्यूजैड में स्थानांतरण डीजी सिस्टम के आयात डेटा दिखाई नहीं दे सकता।

xxiii. किंगडम ग्रुप द्वारा विचाराधीन उत्पाद की शिपिंग की तारीख और भारत में विचाराधीन उत्पाद के पहुंचने की तारीख के बीच समय का अंतर है।

xxiv. झेजियांग किंगडम के मामले में, डीजी सिस्टम के आयात डेटा में व्यापारियों/निर्यातकों के नाम दर्ज किए जाते हैं, जैसे झेजियांग जिनयुआन फ्लेक्स कं. लि. और जियांग्सू जिनयुआन फ्लेक्स कं. लि.। मूल जांच में भी झेजियांग किंगडम ने भारत को कोई भी प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया था। इसने अपने संबंधित पक्षकार के माध्यम से ही भारत को निर्यात किया था। प्राधिकारी ने झेजियांग किंगडम को भी सहकारी दर प्रदान की थी।

xxv. हेइलोंगजियांग किंगडम निर्यात के प्रयोजनों के लिए 'हेइलोंगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि.' नाम का प्रयोग करता है और उसे शुल्क तालिका में शामिल किया जाना चाहिए।

xxvi. प्रतिवादी का दावा है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हो रहा है, याचिका में दिए गए डेटा और प्रतिवादी के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि संबद्ध आयात के कारण कोई मात्रा संबंधी प्रभाव, मूल्य संबंधी प्रभाव या क्षति नहीं है।

xxvii. मौखिक सुनवाई में यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग के वकील ने कहा कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है जिससे वास्तविक क्षति की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

xxviii. घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि यदि पाटन रोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो कीमत दवाब/गिरावट नहीं हुई है।

xxix. संगत आर्थिक मापदंडों के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने सभी संगत आर्थिक मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार देखने में आया है।

xxx. भारतीय बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ-साथ प्रदर्शन करने में विफलता को संबद्ध देश के आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xxxi. अन्य देशों के आयात की बाजार हिस्सेदारी क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित करने के लिए संबद्ध देश या अन्य देशों से आयात बहुत ही कम है। भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग के पास अभी भी महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी है।

xxxii. आवेदक के डेटा के आधार पर आवेदकों को किसी भी क्षति की कोई भावी प्रवृत्ति नहीं है।

xxxiii. क्षति यदि कोई हो, घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं की उत्पत्ति है, क्योंकि घरेलू उद्योग बंगलादेश से विचाराधीन उत्पाद का आयातक है।

xxxiv. यह क्षति उद्योग की अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता के कारण है।

xxxv. भारतीय उद्योग की स्थितियों मे उस स्तर तक सुधार हुआ है, जहां विचाराधीन उत्पाद के भारतीय निर्यातकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है।

xxxvi. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है। घरेलू उद्योग संभावना प्रदान करने के लिए पाटनरोधी नियमों और करार में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए सकारात्मक साक्ष्य प्रदान करने में पूर्णतया विफल रहा है।

xxxvii. किंगडम ग्रुप भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन नहीं कर रहा है जैसा कि किंगडम द्वारा दाखिल उत्तरों से सत्यापित किया जा सकता है।

xxxviii. किंगडम के पास अतिरिक्त और अधिशेष क्षमता नहीं है, जैसा कि निर्यातक प्रश्नावली उत्तर से सत्यापित किया जा सकता है। तैयार वस्तुओं (डाउनस्ट्रीम) की मांग में वृद्धि के कारण संबद्ध देश के स्थानीय बाजारों में विचाराधीन उत्पाद की मांग भी बढ़ी है।

xxxix. घरेलू उद्यग ने अन्य संगत साक्ष्य जैसे अतिरिक्त वस्तुसूची आदि नहीं दिए हैं।

xl. कुल उत्पादन का अधिकोश हिस्सा चीन में घरेलू मांग को पूरा करने और अन्य देशों को निर्यात करने के लिए लक्षित है। मजबूत घरेलू उद्योग और भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय बाजार ग्रुप के लिए मामूली बाजार बन गया है।

xli. प्राधिकारी द्वारा बताए गए कारक क्षति की संभावना की मौजूदगी को नहीं दर्शाते। प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह केवल संभावना के आधार पर संभावना का निर्धारण न करें।

xlii. प्राधिकारी द्वारा विश्लेषित कारक केवल यह दर्शाते हैं कि क्षति का जारी रहना या पुनरावृत्ति होना केवल संभव है न कि संभावना है। यह पाकिस्तान में विश्व व्यापार संगठन के पैनल में निर्धारित सिद्धांतों - यूएई से बाइएक्सियली ओरिएंटेड पॉलिप्रोपाइलीन फिल्म में पाटनरोधी उपायों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

xliii. सीईएलसी की एक रिपोर्ट पर प्राधिकारी की अतिरिक्त क्षमताओं के साक्ष्य पर निर्भरता उचित है और तर्क संगत तथा पर्याप्त निष्कर्ष निकालने के लिए सकारात्मक या पर्याप्त तथ्यात्मक आधार नहीं है।

xliv. प्राधिकारी के निष्कर्षों में कोई स्पष्टता नहीं हैं कि क्या 1,00,000 की अतिरिक्त क्षमता केवल फ्लेक्स यार्न या फ्लेक्स और हेम्प यार्न के लिए सम्मलित है।

xlv. प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा पर भरोसा करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि चीन में निर्यातकों के पास अधिशेष क्षमता है या नहीं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नहीं।

xlvi. एसईजैड को निर्यात से बाहर रखना अनुचित है। प्रश्नावली उत्तर इस बात पर विचार करते हुए दाखिल किया गया था कि प्राधिकारी द्वारा केवल डीटीए को निर्यात की सूचना भेजने के लिए कोई निर्देश नहीं है और विगत में प्राधिकारी ने एसईजैड और डीटीए, दोनों के निर्यात पर विचार किया है।

xlvii. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत में पीसीएन का प्रस्ताव दिया था। अतः प्रतिभागियों ने डीटीए और एसईजैड बिक्री, दोनों सहित पीसीएन वार डेटा दाखिल किया। प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या उन्होंने पीसीएन वार निर्यात मूल्य निर्रधारित किया है।

xlviii. प्राधिकारी ने निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए कमीशन के रूप में 2% की कटौती की, जिसे जांच परिणामों में ठीक किया जना चाहिए, क्योंकि किसी भी एजेंट/आयातक को कोई कमीशन नहीं दिया गया है।

xlix. प्राधिकारी ने यह पाया है कि उनके निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के विपरीत, हेइलोंगजियांग किंगडम लिनेन कं. लि. ने जांच की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है। निर्यातक चलान पर किसी अन्य कंपनी का नाम है। किंगडम ने गलत सचूना दर्ज की। उनके उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्राधिकारी से अनुरोध है कि उन्हें शेष श्रेणी शुल्क प्रदान किया जाए। मैन्युअल के पैरा 12.20 का संदर्भ।

l. एल यह प्रस्तुत किया गया है कि हेइलोंगजियांग किंगडम को वर्तमान समीक्षा में एक सहकारी दर प्रदान की जानी चाहिए, इसके निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए, और इसका नाम पाटन मार्जिन तालिका, क्षति मार्जिन तालिका और शुल्क तालिका में शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकरण की वर्तमान समीक्षा में.

li. प्राधिकारी ने प्रतिभागी पक्षकारों की तुलना में शेष श्रेणी को कम डीएम एवं आईएम प्रदान किया है। शेष श्रेणी शुल्क के लिए उच्चतर दर प्रदान की जाएगी।

lii. याचिकाकर्ता के सभी आर्थिक मापदंडों में सुधार दिखाई देता है। घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और यदि कोई है भी, तो इसे आयात के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

liii. यिक्सिंग सनशाइन लिनेन टैक्टाइल्स कं. लि. ने ओआई में भाग लिया और उसे अलग शुल्क की दर प्रदान की गई। हेइलांगजियांग यांशो जिजिया फ्लेक्स टेक्सटाइल कं. लि. ने ओआई में भाग नहीं लिया, क्योंकि यह तब निर्यात नहीं करता था। फिलहाल दोनों ने पूर्व सहयोग किया है। प्राधिकारी को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर एसएसआर में डीएम/आईएम की गणना करने की जरूरत है और पहले सिफारिश शुल्क जारी नहीं रखना चाहिए, विशेषकर जब नया उत्पादक/निर्यातक पूरी तरह से सहकारी है और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है।

liv. वर्मान एसएसआर में, प्राधिकारी वर्तमान जांच में गणना किए गए डीएम के अनुसार, शुल्क लगाने के लिए बाध्य है और पहले के शुल्क को जारी नहीं रखता है।

lv. विगत 2 वर्षों में एसएसआर के विगत मामले सामने आए हैं जहां डीजीटीआर ने भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यात डेटा के आधार पर नए शुल्क की सिफारिश की है या दिए गए शुल्क को वापस लेने की सिफारिश की है।

ट.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

116. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण के बाद की गई टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

i. निर्यात मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दाखिल निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के बजाय डीजी सिस्टम्स के डेटा पर विचार किया जाना चाहिए।

ii. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा सूचित की गई मात्रा डीजी सिस्टम्स में सूचित की गई मात्रा से अधिक होती है, जबकि डीजी सिस्टम्स द्वारा प्रदान किए गए डेटा अपूर्ण होते हैं या आयातकों ने उत्पाद को किसी अन्य वर्गीकरण की अनुमति दे दी होती है।

iii. किसी भी स्थिति में निर्यातकों द्वारा सूचित मात्रा वास्तव में भारत मं पहुंची और निर्यातकों को वस्तुओं के अंतिम गंतव्य स्थान का पता था, अतः प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा सूचित की गई सभी मात्राओं पर विचार करना आवश्यक है।

iv. प्राधिकारी को भारतीय प्रणाली डेटा में सूचित आयात मूल्यों पर एक ऐसी स्थिति में विचार करना अपेक्षित है, जहां निर्यातक द्वरा सूचित आयातों का मूल्य डीजी सिस्टम्स के डेटा (व्यक्तिगत आयात लेन देन के लिए) में सूचित आयातों के मूल्य से अधिक है।

v. वर्तमान स्थिति में संभावना यह हो सकती है कि निर्यातक द्वारा निर्यात किए गए हैं और उन्हें उचित पाटनरोधी शुल्कों का भुगतान किए बिना भारतीय सीमा शुल्क में मंजूर किए गए हैं। ऐसी स्थिति में जहां, व्यक्तिगत आयात लेन देन के लिए सूचित किए गए आयात मूल्य डीजी सिस्टम्स में संबंधित आयात डेटा में सूचित किए गए आयात मूल्य से अधिक है, स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति की ओर इशारा करता है, जहां आयात लेन देन का मूल्य डीजी सिस्टम्स के डेटा के साथ मेल नहीं खाता है।

vi. प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयात मूल्यों के लिए डीजी सिस्टम्स के डेटा के साथ विधिवत पुष्टि करने के बाद निर्यातक द्वारा सूचित की गई निर्यात की मात्रा पर विचार करे और उसके बाद निर्धारण करे।

vii. प्राधिकारी संबंधित आयात लेन देन में सूचित आयात मूल्यों की विधिवत पुष्टि करने के बाद निर्यातक द्वारा सूचित निर्यात की मात्रा पर विचार करे।

viii. प्राधिकारी ने सही कहा है कि यह दायरा “70 ली काउंट (42 एनएम के बराबर) से कम फ्लेक्स यार्न” तक सीमित है। किसी भी इच्छुक पक्षकार ने प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीसीएन पद्धति या विचाराधीन उत्पाद के दायरे का विरोध नहीं किया है।

ix. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी बहुत कम है जिससे क्षति मार्जिन का स्तर कम हो जाता है। घरेलू उद्योग का कहना है कि कच्चे माल के उपयोग और युटिलिटी के उपयोग को विगत में प्राप्त सर्वोत्तम स्तरों पर नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि खपत में वृद्धि होने के कारण, ऐसे इनपुट का अक्षम उपयोग नहीं है।

x. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद के बीच विभाजन के तरीके को बदल दिया है। तथापि, आवेदकों द्वारा अपनाई गई विभाजन की पद्धति को अस्वीकार करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है।

xi. उत्पादन की वास्तविक लागत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जाना चाहिए न कि अनुमानित लागत के लिए और वह भी विभिन्न घरेलू उत्पादकों में सबसे कम। घरेलू उद्योग की औसत उत्पादन लागत पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यूनतम एनआईपी पर विचार करना कानूनी आधार के बिना है। बल्कि प्राधिकारी को भारत में पाई जाने वाली उत्पादन की उच्चतम लागत को अपनाना चाहिए।

xii. प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों और सीईएलसी से उनके पास अधिकतम क्षमता की मौजूदगी पाई है। अतिरिक्त क्षमता 23,000 मी. टन के करीब है। चीन में उत्पादकों के पास ज्ञात क्षमता समग्र भारतीय क्षमता मात्रा 20,000 मी. टन की तुलना में 1 लाख मी. टन है।

xiii. भले ही शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों में गिरावट आई थी, लेकिन वर्ष 2019-20 में गिरावट के बाद उसमें वृद्धि शुरू हो गई। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भारतीय बाजार अत्यधिक मूल्य संवेदनशील है।

xiv. अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का चीन का निर्यात पाटित मूल्य, क्षतिकारी मात्रा और उस स्तर से कम कीमत पर होता है, जिस पर उन्हें भारत को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा, चीन में उत्पादक अत्यधिक निर्यात उन्मुखी हैं।

xv. जैसा कि किंगडम ग्रुप ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह दावा किया है, कोविड-19 के सभी देशों को प्रभावित करने बावजूद, उन्होंने बदलावों को अनुकूलित किया है और 20,756 टन (2020: 20756 टन) लिनेन यार्न का उत्पादन किया। इस प्रकार उन्होंने कोविड-19 के बावजूद महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात किया है।

xvi. मौजूद एडीडी के विस्तार के लिए पर्याप्त औचित्य है।

xvii. शुल्क लाभकारी रहे हैं और इसने उद्योग को आत्मनिर्भर बनाया है, क्योंकि भारतीय उत्पादकों की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई है। देश में अब पूरी मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता है और इस प्रकार मांग-आपूर्ति का कोई अंतर नहीं।

xviii. उद्योग द्वारा किए गए अतिरिक्त निवेश को अनुचित व्यापार से बचाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय उद्योग कमजोर है और निम्न स्तर का लाभ उठा रहे

हैं। शुल्क और पर्याप्त क्षमता होने के वाबजूद, आयात अभी भी भारतीय मांग का महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। निर्यात बिक्री न तो महत्वपूर्ण है और न ही बहुत लाभदायक है और भारतीय उद्योग का ध्यान घरेलू बाजार पर है।

xix. चीन के उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमता है और जो विधि वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा, भारत चीन के निर्यात का एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ।

xx. प्रकटीकरण में शामिल किए गए लोगों की तुलना में चीन में अन्य उत्पादकों की क्षमता प्रदान की गई है।

कंपनी का विवरण	**क्षमता (मी.टन में)**
हुआरेन लिनन (एचके) कंपनी लिमिटेड	6,000
चांगझोउ मेइयुआन फ्लेक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	2,200
हुजौ गोल्डरिच लिनेन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	1,178
टोंगलिंग यिनहुआ लिनन एंड रामी टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	300
तुंग गा लिनेन और कपास चांगझोउ कंपनी लिमिटेड	2,800
हेइलोंगजियांग युआनबाओ कपड़ा कं. लि.	7,500
झेजियांग हैयान जिन्यी टेक्सटाइल कं. लि.	1,000
मुलिंग शिनलिंग लिनन टेक्सटाइल कं. लि.	2,200
कुल	23,178 मी.टन

xxi. वर्तमान शुल्कों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है और मात्रा में संशोधन अपेक्षित नहीं है। अतः निर्णायक समीक्षा में इस बात पर बल दिए जाने की जरूरत है कि क्या शुल्कों को समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है न कि क्षति की मात्रा। इसी

प्रकार का दृष्टिकोण प्राधिकारी द्वारा विगत में समाप्त हुई निर्णायक समीक्षा/पाटनरोधी जांच में कार्रवाई की गई है।

xxii. विचाराधीन उत्पाद एक प्रीमियम टेक्सटाइल फैब्रिक उत्पाद है और बड़े पैमाने पर इसका उपयोग जनता द्वारा नहीं किया जाता है। उत्पाद की लागत के कारण उपयोग का मामला सीमित नहीं है बल्कि नियमित रखरखाव की लागत अधिक और आवर्ती है, जो समान के केवल समाज कुलीन वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने तक सीमित होने के कारण है, इस प्रकार इन घटकों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा।

xxiii. पाटनरोधी शुल्क उत्पादक, उपभोक्ता और बड़े पैमाने पर जनता के हित में है। भारतीय बाजार में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ये शुल्क आवश्यक हैं। यह उपभोक्ताओं के हित में भी हैं कि एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग हो क्योंकि यदि उपभोक्ता पूरी तरह से आयात पर निर्भर होंगे तो वे उच्च स्तर की वस्तुसूची के लिए मजबूर हो जाएंगे। घरेलू विनिर्माण क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना भारत को विनिर्माण पावर हाउस बनाने के लिए आवश्यक है।

xxiv. विगत उपायों का प्रभाव अंतिम उत्पाद पर 0.73% से 2.8% तक नगण्य रहा है, जो यह दर्शाता है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था। इसके अलावा, किसी भी उपभोक्ता डाउनस्ट्रीम उद्योग ने इसके विपरीत सिद्ध करने वाली सूचना प्रदान नहीं की है।

xxv. यार्न में वस्त्र उत्पादन की एक बड़ी लागत होती है और यार्न की कीमत में किसी भी वृद्धि को सीधे-सीधे वस्त्र की कीमतों पर डाल दिया जाता है। यार्न और वस्त्र की कीमतें साथ-साथ चलती हैं। निर्माताओं ने इसे प्रमाणित किया है, इसके लिए प्राधिकारी को साक्ष्य प्रदान किए गए हैं।

xxvi. डाउनस्ट्रीम उद्योग का विश्लेषण क्षति की अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार, पिछले उपायों को लागू करने के कारण किसी भी रूप या तरीके से कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और परिकलन के अनुसार शुल्क का प्रभाव केवल नगण्य है।

ट.1. प्राधिकारी द्वारा जांच

117. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि प्रमुख टिप्पणियां केवल पुनरावृत्ति हैं, जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और प्रकटीकरण विवरण के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है। नए अनुरोधों की जांच इस प्रकार की गई है:

i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में 14 पीसीएन पर विचार किया गया है जबकि इथियोपिया से केवल 2 पीसीएन का आयात किया गया है। 2 पीसीएन इस जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए 14 पीसीएन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, इथियोपिया से भारत तक की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका।

ii. जहां तक इस दावे का संबंध है, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से बंगलादेश से आयात मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए और उपलब्ध तुलनात्मक पीसीएन सूचना के आधार पर बाजार में प्रवेश न कर रहे पीसीएन के लिए समायोजन किया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच में 14 पीसीएन पर विचार किया गया है, जबकि बंगलादेश से केवल 3 पीसीएन आयात किए गए हैं।

iii. इसके अलावा, यहां तक कि जब निर्यातकों (बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में) द्वारा दायर उत्तर के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाता है और किसी विशेष पीसीएन की कोई भी बिक्री या लाभकारी बिक्री नहीं होती है, तो उत्पादन की लागत और उचित समायोजन पर विचार करते हुए, सामान्य मूल्य का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न किए गए पीसीएन के लिए एनआईपी के मामले में, समायोजन ऐसे पीसीएन के उत्पादन की लागत और निष्पादन तुलनीय पीसीएन के आधार पर किया जाता है। इस मामले में, अधिकांश पीसीएन के लिए लागत और मूल्य में अंतर के संबंध में कोई सूचना नहीं है और इस प्रकार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से इथियोपिया और बंगलादेश से आयात मूल्य पर विचार करना उचित नहीं होगा।

iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकरण ने चीनी उत्पादक के पास उपलब्ध अधिशेष या स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया है क्योंकि उसने अपनी अधिकांश क्षमता का उपयोग कर लिया है, यह नोट किया गया है कि तीसरे देश द्वारा पाटित किए गए निर्यात की मात्रा, तीसरे देश से हानिकारक निर्यात और निर्यातक द्वारा भारत को निर्यात किए गए स्तर से कम कीमत पर किए गए निर्यात की मात्रा को भी उत्पादक के पास उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता के अलावा स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल क्षमता के रूप में माना जा सकता है जिसे वह भारत में निर्यात कर सकता है। संभावना परीक्षण केवल स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है; यह निर्धारण तीसरे देशों को निर्यात, विदेशी उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमताओं और उन कीमतों पर विचार करने तक फैला हुआ है जिन पर भारत और विश्व स्तर पर विभिन्न निर्यात हुए।

इस जांच से पता चलता है कि निर्यातक द्वारा पाटन तेज करने और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने की संभावना है।

v. इस तर्क के संबंध में कि अतिरिक्त क्षमता की जानकारी केवल निर्यातकों द्वारा दायर की गई प्रतिक्रिया के आधार पर ही मानी जानी चाहिए, यह नोट किया गया है कि देश में प्रचलित क्षमता और मांग पर जानकारी प्रदान करने की विशिष्ट आवश्यकता के बावजूद, किसी भी निर्यातक ने उपलब्ध नहीं कराया है। जानकारी और इस प्रकार, प्राधिकरण को सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी पर विचार करना होगा। इसके अलावा, प्रतिसाद देने वाले निर्यातकों ने प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

vi. जहां तक चीन में प्रचलित अतिरिक्त क्षमता के बारे में सीईएलसी की रिपोर्ट पर इच्छुक पक्षों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रिपोर्ट में अकेले फ्लेक्स यार्न के लिए 1,00,000 स्पिंडल की अतिरिक्त क्षमता होने की सूचना दी गई है, जो कि 20,000 मी. टन के बराबर है।

vii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निर्यात मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से निर्यातकों के उत्तर पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी ने अब एसईजैड को किए गए निर्यातों सहित निर्यातकों के उत्तर पर विचार किया है।

viii. वर्तमान समीक्षा में सहकारी दर प्रदान करने के लिए हेइलोंगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड के दावे के संबंध में, और वर्तमान समीक्षा में पाटन मार्जिन तालिका, क्षति मार्जिन तालिका और शुल्क तालिका में इसे शामिल करने के संबंध में। प्राधिकरण ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मुद्दे की जांच की है;

क. मूल जांच की जांच की अवधि अक्टूबर 2016 से सितंबर 2017 तक थी। लेकिन तीन भाग लेने वाली कंपनियों (झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी) द्वारा अप्रैल 2018 में दायर ईक्यूआर में कंपनी का नाम संबंधित कंपनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया था। मूल जांच में किंगडम ग्रुप के लिमिटेड, जियांग्सू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड)।

ख. 2017 की वार्षिक रिपोर्ट (31 दिसंबर 2017 तक) से पता चलता है कि हेइलोंगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड, 2017 में पीयूसी के उत्पादन में थी। हालांकि मूल जांच में दायर ईक्यूआर में इसकी सूचना नहीं दी गई थी। उक्त कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत में *** मीट्रिक टन का केवल एक निर्यात लेनदेन किया है।

ग. इसके अलावा, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकरण ने सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के संभावित पहलू की जांच की है और पाया है कि

हालांकि निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को कोई मौजूदा पाटन और क्षति नहीं हुई है, फिर भी, मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश के लिए पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना है।

घ. चूंकि मेसर्स हेइलोंगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड, उक्त निर्माता/निर्यातक को मूल जांच में शुल्क की व्यक्तिगत दर प्रदान नहीं की गई थी, प्राधिकरण, पाटन और क्षति की संभावना की जांच पर, इसे जारी रखने की सिफारिश करता है। उक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए पाटन रोधी शुल्क की मौजूदा अवशिष्ट दर का।

ङ. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने वर्तमान एसएसआर जांच में सहकारी पाटन रोधी शुल्क दर देने और इसके साथ उसका नाम शामिल करने के लिए 'हेइलोंगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड' के अनुरोध पर विचार नहीं किया है। ड्यूटी तालिका में किंगडम समूह की अन्य कंपनियाँ

ix. पाटन रोधी शुल्क की नई दर के लिए हेइलोंगजियांग यान्शौ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड के दावे के संबंध में, प्राधिकरण ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मुद्दे की जांच की है;

1. निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकरण द्वारा दो पहलुओं की जांच करने की आवश्यकता है:

   क. क्या पाटन और क्षति का सिलसिला जारी है।

   ख. पाटन या क्षति जारी रहने के अभाव में, चाहे शुल्क रद्द करने पर, पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।

2. मौजूदा पाटन की अनुपस्थिति और घरेलू उद्योग को क्षति की वजह पाटन और क्षति की घटना का मुकाबला करने के लिए लगाए गए शुल्क हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, प्राधिकरण पर यह जांच करने का दायित्व है कि क्या शुल्क को रद्द करने से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना होगी। यूरोपीय संघ में डब्ल्यूटीओ पैनल की टिप्पणियां - लागत समायोजित पद्धतियां II (रूस)[1], इस संबंध में हैं:

   मूल पाटन रोधी जांच में, जांच अधिकारियों को यह निर्धारित करना होगा कि क्या किसी सदस्य का घरेलू उद्योग पाटन किए गए आयात से भौतिक रूप से घायल हुआ है। इस स्तर पर, निर्धारण के समय 'भौतिक क्षति' के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह निर्धारण अनुच्छेद 3 के तहत पिछले कुछ अवधि के लिए

---

[1] पैनल रिपोर्ट, यूरोपीय संघ - रूस से आयात पर लागत समायोजन पद्धतियां और कुछ एंटी-डंपिंग उपाय (दूसरी शिकायत), डब्ल्यूटी/डीएस494/आर और ऐड.1, 24 जुलाई 2020 को डब्ल्यूटीओ सदस्यों को परिचालित किया गया, 28 अगस्त 2020 को अपील की गई।

आवश्यक और प्रासंगिक कारकों से संबंधित जानकारी के आधार पर किया जाता है। इसके विपरीत, एक समाप्ति समीक्षा में, एक पाटन रोधी उपाय कुछ समय से लागू है, और जांच अधिकारियों को नए विश्लेषण के आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि क्या उस उपाय की समाप्ति से क्षति जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स हेइलोंगजियांग यान्शोउ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड के मामले में प्राधिकरण द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना से संबंधित मापदंडों की जांच की गई है, यह पाया गया है कि:
   क. मेसर्स हेइलोंगजियांग यान्शौ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड की निष्क्रिय क्षमता लगभग 30% है।
   ख. कुल 2,286 मीट्रिक टन मात्रा तीसरे देशों को निर्यात की जा रही है।
   ग. इन 2,286 मीट्रिक टन में से जो तीसरे देशों को निर्यात किया जाता है, 836 मीट्रिक टन क्षति कारक कीमत पर है।
   घ. इन 2,286 मीट्रिक टन में से जो तीसरे देशों को निर्यात किया जा रहा है, 618 मीट्रिक टन पाटन कीमत पर है।
   ङ. और इन 2,286 मीट्रिक टन में से जो तीसरे देश को निर्यात किया जा रहा है, 1632 मीट्रिक टन भारत की कीमत से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है, जिससे मौजूदा पाटन रोधी शुल्क रद्द होने की स्थिति में भारत एक मूल्य-आकर्षक बाजार बन जाता है।
4. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मेसर्स हेइलोंगजियांग यान्शौ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड ने मूल जांच में भाग नहीं लिया था और उसके पास न्यू शिपर रिव्यू (एनएसआर) आवेदन दाखिल करने का विकल्प था, लेकिन उपर्युक्त निर्माता/निर्यातक वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में सीधे भाग लेने का विकल्प चुना।
5. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी ने सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के संभावित पहलू की जांच की है और पाया है कि हालांकि निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को कोई वर्तमान पाटन और क्षति नहीं हुई है, फिर भी, एक मजबूत स्थिति है मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश के लिए पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना।
6. चूंकि मेसर्स हेइलोंगजियांग यान्शोउ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, उक्त निर्माता/निर्यातक को मूल जांच में शुल्क की व्यक्तिगत दर प्रदान नहीं की गई थी और वर्तमान में अवशिष्ट श्रेणी में आ रही है, संभावना की जांच पर प्राधिकरण पाटन

और क्षति उक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए पाटन रोधी शुल्क की मौजूदा अवशिष्ट दर को जारी रखने की सिफारिश करती है।

x. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना, पाटनरोधी नियमों में निर्धारित सिद्धांतों और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है।

xi. जैसा की उपर उल्लेख किया गया है, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। तथापि संबद्ध देश से पाटित आयातों की पुनरावृत्ति की संभावना बनी हुई है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने अथवा, उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है, जैसे कि उपर्युक्त पैराग्राफों में की गई जांच से स्पष्ट है, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। अतः प्राधिकरी ने मूल जांच में निर्धारित शुल्कों के जारी रहने की सिफारिश की है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामलें

ठ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

118. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सार्वजनिक हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

i. पाटनरोधी शुल्क लगाना विचाराधीन उत्पाद के केवल भारतीय उत्पादकों के हित में है। अतः लिनन परिधान पर एक प्रमुख का विश्लेषण गलत है। यह कहना कि विचाराधीन उत्पाद एक प्रीमियम उत्पाद है, जिसका उपयोग केवल समाज के कुलीन वर्ग द्वारा किया जाता है, महत्वहीन है और इसका इस विषय पर कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा, आवेदकों ने कहा कि आय के बढ़ते स्तर के साथ लिनन परिधान की खपत में वृद्धि हुई है।

ii. भारतीय उत्पादक भी कैप्टिव उपभोक्ता हैं। उनमें से कई लिनन टैक्सटाइल/फैब्रिक का उत्पादन करते हैं और बाद में लिनन परिधान की खुदरा स्टोरों में बिक्री करते हैं या कैप्टिव उपभोक्ता नियमित रूप से भारतीय बाजार में अन्य वस्त्र निर्माताओं को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति नहीं करते और इस प्रकार किसी भी प्रतिस्पर्धा को दबा देता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं मिलेगा और उपभोक्ताओं को कैप्टिव उपभोक्ताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा।

iii. पाटनरोधी शुल्क लागू करने से विचाराधीन उत्पाद के सभी डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि पीक सीजन के दौरान भारतीय उत्पादक, जो कैप्टिव उपभोक्ता भी हैं, बाजार में अन्य भागीदारों को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति नहीं करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) की आपूर्ति के लिए बाजार में अपनी प्रधान स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. पर 302 करोड़ रु. का जुर्माना लगाया है। यदि पाटनरोधी शुल्क जारी रहता है तो विचाराधीन उत्पाद के संबंध में इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भारतीय उद्योग सभी पहलुओं में विकसित हुआ है, अतः पाटनरोधी शुल्क को लगाए रखना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

iv. इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण लिनेन फैब्रिक/टैक्सटाइल की तुलना में किया जाना चाहिए, न कि लिनेन परिधान के संबंध में।

v. आवेदकों के पास फ्लेक्स फैब्रिक पर पाटनरोधी शुल्क संबंधी सुरक्षा है और अब वे कच्चे माल फ्लेक्स यार्न पर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भारत में डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को पीक सीजन में पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करके फ्लेक्स यार्न और फ्लेक्स फैब्रिक, दोनों का आयात करना पड़ रहा है क्योंकि आवेदक और अन्य भारतीय उत्पादक अपनी कैप्टिव मांग को पूरा करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

vi घरेलू उद्योग को प्रदान किए गए मजबूत संरक्षण के फलस्वरूप संबद्ध आयात मूल जांच की जांच की अवधि में 9371 मी. टन से घटकर वर्तमान समीक्षा जांच की अवधि में 3407 मी. टन हो गया है। मूल जांच की तुलना में वर्तमान समीक्षा जांच की अवधि में चीन से आयात मूल्य भी लगभग दो गुना हो गया।

vii. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रभाव विश्लेषण गलत है, क्योंकि यह लिनेन फैब्रिक/टैक्सटाइल की कीमत के बजाय लिनन परिधान की कीमत पर आधारित है।

viii. पीक मांग के दौरान भारतीय उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति न किए जाने के कारण डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता काफी प्रभावित होते हैं।

ix. पाटनरोधी शुल्क जनहित में नहीं है। घरेलू बाजार में केवल कुछ ही उत्पादक हैं, अतः पूरी संभावना है कि वे बाजार पर हावी होंगे और बाजार में प्रवेश के लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे।

x. जय श्री टैक्सटाइल, रेमंड, लिनेन आर्ट और डब्ल्यूएफबी जैसे घरेलू उत्पादकों की अपनी फैब्रिक उत्पादन यूनिटें हैं और वर्ष में पीक मांग के समय उन्हें विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने पर ध्यान दे रही हैं। यह प्रयोक्ता उद्योग को घरेलू बाजार से बहुत सीमित आपूर्ति के भरोसे छोड़ देते हैं, जो चीन से आयात करेगा, क्योंकि घरेलू उद्योग पीक सीजन के साथ के दौरान भारतीय प्रयोक्ता उद्योग की 100% मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

119. घरेलू उद्योग द्वारा सार्वजनिक हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. उपभोक्ताओं पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है। जांच में न तो उपभोक्ताओं ने भाग लिया है और न ही पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाया है।

ii. विचाराधीन उत्पाद में कीमत वृद्धि बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के बाजार द्वारा समायोजित कर ली गई थी।

iii. कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद उतपाद की मांग में वृद्धि हुई।

iv. चीन के उत्पादकों की कीमत में भी वृद्धि हुई और उसे बाजार द्वारा साझा रूप से समाहित कर लिया गया तथा साझा तौर पर यह स्थापित होता है कि बाजार पर पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था।

v. यदि यह माना जाता है कि फैब्रिक के हितबद्ध पक्षकारों पर प्रभाव की गणना की जानी अपेक्षित है, तो कोई मात्रा, कोई साक्ष्य यह प्रदान नहीं करता कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क की मात्रा के अनुसार कीमतों में वृद्धि की है।

vi पाटनरोधी शुल्क के साथ कीमत कटौती काफी नकारात्मक है, जो यह स्थापित करता है कि उपभोक्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क के कारण अधिक कीमत का भुगतान नहीं किया।

vii. समग्र भारतीय उद्योग के पास कैप्टिव मांग सहित समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

viii. पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि भारतीय उत्पादकों द्वारा आपूर्ति संबंधी बाधा आ रही है, यह अनर्गल आरोप है।

ix. यह आरोप कि चूंकि एक आवेदक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीएस) की जांच में शामिल है और उस पर जुर्माना लगाया गया था, किसी भी तरह से वर्तमान समीक्षा से जुड़ा मामला नहीं है। यह अलग उत्पाद के संबंध में अलग जांच है।

x. वर्तमान क्षति अवधि के आधार वर्ष की तुलना में चीन से आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

xi. संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने वाले भारतीय उत्पादकों की कुल संख्या मूल जांच में 4 से बढ़कर वर्तमान समीक्षा जांच में 8 हो गई है। चीन जन.गण. से पाटित और क्षतिकारी आयातों के लिए एक समान वातावरण प्रदान करके शुल्क लगाए जाने से भारतीय उद्योग को काफी अधिक भरोसा मिला है जिससे भारतीय उद्योग द्वारा किया गया निवेश मूल जांच में किए गए निवेश की तुलना में करीब 15 गुणा बढ़ गया है।

xii. परिणामस्वरूप क्षमता और उपयोग में, समान स्तर का वातावरण मौजूद होने के कारण सुधार आया है, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई है और उत्पादन प्रक्रिया में काफी रोजगार उत्पन्न हो रहा है।

xiii. उद्योग की आत्मनिर्भरता उपभोग अनुपात की क्षमता के संदर्भ में मूल जांच में 1/3 से बढ़कर जांच की अवधि में पूरी हो गई है।

xiv. पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय बाजार में समान स्तर का वातावरण मिले, समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में व्यवहार्यता रहे और भारत को उत्पाद के संबंध में केवल आयात पर निर्भर रहने से रोका जाए।

xv. मजबूत घरेलू उद्योग का होना आवश्यक है ताकि उचित और प्रतिस्पर्धी भारतीय बाजार सुनिश्चित हो सके, जो इसेक अभाव में पूरी तरह से चीन के आयातों के प्रभाव में रहेगा।

xvi. यह व्यापक सार्वजनिक हित में है कि एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन रहे। घरेलू निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना भारत को एक निर्माण पावरहाउस बनाने के लिए जरूरी है, जो कि उद्देश्य भी है घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और देश की जीडीपी में वृद्धि होगी।

xvii. प्रभाव बहुत ही नगण्य है, जो केवल 0.7% से 2.8% के बीच है।

ठ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

120. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य रूप से पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को जारी रखने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि पाटन रोधी उपायों को लागू रखने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटनरोधी प्रथा से कोई अनुचित लाभ प्राप्त न हो, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सके तथा संबद्ध वस्तुओँ के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सके।

121. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या पाटनरोधी प्रक्रिया जारी रखने से सार्वजनिक हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों के जारी रहने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर प्रभाव और बड़े पैमाने पर आम जनता पर प्रभाव का आकलन किया। यह आकलन वर्तमान जांच के दौरान प्रस्तुत अनुरोधों और साक्ष्यों पर आधारित है।

122. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य लोगों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओँ के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे अपने प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सके। प्राधिकारी ने राजपत्र अधिसूचना जारी करके आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों

से विचार आमंत्रित किए हैं। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में प्रांसगिक सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के आदान-प्रदान घरेलू उद्योग की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, ऐसे कारक, जिनके कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति लाने में तेजी या विलंब की संभावना है, वर्तमान शुल्क क समाप्त करने अथवा बनाए रखने के प्रभाव के बारे में सूचना मांगी थी। प्राधिकारी ने यह नोट किया कि एक आयातक, अर्थात टैक्स वेंचर्स एलएलपी को छोड़कर, विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उपभोक्ता और आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया अथवा मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया। टैक्सवेंचर्स एलएलपी ने भी प्रयोक्त प्रश्नावली दाखिल नहीं की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि विगत पांच वर्षों में पाटनरोधी शुल्क को लगाने और उसके मौजूद होने से उपभोक्ताओं या बड़े पैमाने पर जनता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

123. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया है। जहां तक उपभोक्ता उद्योग द्वारा निर्धारित शुल्क के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इसलिए भविष्य में उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव पर विचार करने से पहले, प्राधिकारी को पहले लगाए गए शुल्कों के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में, जहां पाटनरोधी शुल्क विगत 4 वर्षों से अधिक समय से लागू है, वहां उत्पाद की कीमत में वृद्धि (कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव के लिए उचित समायोजन करने के बाद) और इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क के संभावित प्रभाव का सबसे अच्छा संकेतक है। शुल्क लगाने के बाद, घरेलू और आयातिक उत्पाद के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए इस प्रभाव का निर्धारण करना अपेक्षित है। यह देखा गया है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण सूचित की गई वृद्धि को छोड़कर, घरेलू उद्योग या चीन के उत्पादकों द्वारा उत्पाद के मूल्य में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के निवेश के संबंध में आधार वर्ष से बेहतर निवेश हुआ है, यद्यपि अभी भी कम है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न तो घरेलू उद्योग और न ही आयात में

पाटनरोधी शुल्क की उस मात्रा में वृद्धि हुई है, जो पहले लगाया गया था। उत्पाद की कीमत में पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा से भी वृद्धि नहीं हुई थी, अतः यह विचार करना उचित नहीं होगा कि शुल्क जारी रहने के कारण पाटन रोधी शुल्क की मात्रा से भविष्य में उत्पाद की कीमत में वृद्धि हो जाएगी।

124. घरेलू उद्योग ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि उत्पादकों की संख्या 2018 में लगभग चार उत्पादकों से बढ़कर वर्तमान में 8 उत्पादक हो गई है। उद्योग ने केवल 6378 एमटी से 20410 एमटी से अधिक की क्षमता स्थापित कर ली है। इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग ने इस उत्पाद में 1500 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया है। क्षमताओं में वृद्धि के साथ भारतीय उद्योग द्वारा सृजित रोजगार में वृद्धि हुई है और उद्योग प्रत्यक्ष रूप से लगभग 5300 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहा है जिसके आगामी वर्षों में बढ़कर दोगुना होने की उम्मीद है।

125. घरेलू उद्योग विगत 5 वर्षों में सुधार लाने में सक्षम रहा है और घरेलू बाजार में वृदधि को देखते हुए क्षमताओं में विस्तार करने में समक्ष रहा है। नए संयंत्र स्थापित किए गए हैं और नए बाजार के प्रतिभागियों ने बाजार में प्रवेश किया है। चूंकि इन कंपनियों ने अभी उत्पादन शुरू किया है, अतः वे भारतीय बाजार में अपना स्थान नहीं बना पाई हैं और इसलिए कमजोर हैं। चीन से कम कीमत पर आयात होने से इन नयी कंपनियों के लिए अस्तित्व में रहना मुश्किल हो जाएगा। यदि नई स्थापित उत्पादन क्षमता का कम उपयोग किया जाता है और आवश्यक आरओआई प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी को नुकसान होगा। ऐसे मामलों में विचाराधीन उत्पाद के पाटन से भारतीय उद्योग के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

126. अतिरिक्त निवेश और क्षमता में वृद्धि का भारतीय उद्योग द्वारा प्रस्तावित रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह देखा गया है कि मूल जांच की तुलना में रोजगार में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। मूल जांच की तुलना में जांच की अवधि में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का, भारतीय उद्योग (क) टैक्सटाइल फाइबर/यार्न और (ख) लिनन परिधान उद्योग दोनों में सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है।

127. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग ने शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप वृद्धि हासिल की है। तथापि, चूंकि उद्योग निरंतर असुरक्षित बना हुआ है और यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो

इसके बाद फिर से क्षति होने की संभावना है, अतः पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना उद्योग के हित में होगा।

128. प्राधिकरण ने प्रयोक्ताओं के हित में शुल्क जारी रखने के प्रभाव की भी जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क लगाने से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगता बल्कि केवल यह सुनिश्चित होता है कि वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हों। भारतीय उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है और वह करीब-करीब पूरी मांग को पूरा कर सकता है।

129. अन्य देशों से भी आयात किया जाता है। अतः भले ही संबंधित देश से कोई आयात न हो, लेकिन घरेलू आपूर्ति भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देश से आयात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

130. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत में कई उत्पादक हैं, और उत्पादकों की क्षमता घरेलू मांग से अधिक है। अतः घरेलू उत्पादकों के बीच महत्वपूर्ण मूल्य प्रतिस्पर्धा है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में उत्पाद उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का कोई भी अनुचित लाभ संभव ही नहीं है।

131. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि पाटन रोधी शुल्क किस प्रकार डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। घरेलू उद्योग ने कपड़ों पर शुल्क के प्रभाव की गणना प्रदान की है, जो लगभग नगण्य है। इस संबंध में यह भी नोट किया गया है कि विषय वस्तुएं प्रीमियम टेक्सटाइल फैब्रिक उत्पाद हैं जो समाज के उच्च आय वर्ग द्वारा प्रमुख रूप से उपयोग और पहना जाता है। लिनन उत्पादों का उपयोग बड़े पैमाने पर जनता द्वारा नहीं किया जाता है। इस प्रकार, इन खंडों पर पाटन रोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा। हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि इसका प्रभाव कपड़ा निर्माता पर देखा जाना चाहिए, इस संबंध में यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु कपड़े की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा है, और इस प्रकार यह वैध है कि कपड़ा निर्माता किसी भी वृद्धि पर भार डाले। अंतिम ग्राहक की लागत में। आवेदकों में से एक, मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जया श्री टेक्सटाइल्स), फ्लैक्स यार्न और फ्लैक्स फैब्रिक

दोनों का निर्माता है। इसने प्रमाणित किया है कि कपड़े की कीमत यार्न पर निर्भर है और कपड़े की कीमत यार्न की कीमत में उतार-चढ़ाव का अनुसरण करती है।

132. प्राधिकारी ने यह भी कहा है कि निश्चित उपायों का कुछ उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव पड़ सकता है लेकिन इसे घरेलू उद्योग गतिविधि के बंद होने के जोखिम के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए। उपाय नहीं लागू करने से आपूर्ति के स्रोत कम विश्वसनीय और अस्थिर हो जाएंगे, खासकर जब भारत और चीन को फ्लैक्स यार्न में प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है। इसलिए, प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि शुल्क लगाना व्यापक सार्वजनिक हित में होगा।

<u>**शुल्कों को जारी रखने के लिए औचित्य**</u>

i. यह उत्पाद एक प्रीमियम वस्त्र उत्पाद है, जो उच्च लागत के कारण समाज के उच्च आय वर्ग के लिए है।

133. संबद्ध वस्तु एक प्रीमियम वस्त्र उत्पाद है। यह नोट किया जाता है कि लिनन एक बहुत ही प्रीमियम वस्त्र है जो समाज के कुलीन वर्ग द्वारा प्रमुख रूप से उपयोग में लाया और पहना जाता है। लिनन उत्पादों का उपयोग बड़े पैमाने पर जनता द्वारा नहीं किया जाता है। आवेदकों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि लिनन का उपयोग उत्पाद की लागत के कारण सीमित नहीं है बल्कि निर्यात रखरखाव की उच्च लागत, केवल समाज के कुलीन वर्ग द्वारा उपयोग को सीमित किए जाने के कारण है। इस प्रकार यह एक ऐसा उत्पाद नहीं है, जो वस्त्र में बड़े पैमाने पर जनता द्वारा उपयोग किया जाता है।

ii. शुल्क पूंजीनिवेश, क्षमता निर्माण, रोजगार सृजन और देश के आत्मनिर्भर बनने के रूप में देश में उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए लाभकारी रहे हैं।

134. संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने वाले भारतीय उत्पादकों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, जो मूल जांच में चार (4) से बढ़कर जांच की अवधि में आठ (8) हो गई है। मूल जांच के बाद से चार नए उत्पादकों ने करीब 14032 मी. टन क्षमता स्थापित की है। भारत में स्थापित क्षमता 20,410 मी. टन है, जबकि मूल जांच में जांच की अवधि में 6378 मी. टन क्षमता थी।

135. मूल जांच में निवेश की तुलना में भारतीय उद्योग द्वारा किए गए निवेश में लगभग 15 गुणा वृद्धि हुई है। यह निवेश मूल जांच के समय लगभग 120 करोड़ रु. से बढ़कर वर्तमान जांच की अवधि में 1500 करोड़ रु. से अधिक हो गया है।

136. यह उत्पाद एक अधिक पूंजी वाला है, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित औसत पूंजी लागत लगभग 1 लाख रू. प्रति मीट्रिक टन थी, नई क्षमताओं में पूंजी निवेश लगभग 15 लाख रू प्रति मी. टन है।

137. यह उत्पाद भारी रोजगार वाला है। घरेलू उद्योग में औसत रोजगार 3 व्यक्ति प्रति मी. टन है। घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग द्वारा स्थापित क्षमताओं को देखते हुए, इसका तात्पर्य यह है कि यार्न उद्योग में ही करीब 5300 व्यक्तियों का रोजगार है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद में विस्कोस और पॉलिस्टर जैसे अन्य वस्त्र उत्पादों की तुलना में मूल्य श्रृंखला में उच्चतम रोजगार (प्रति मी. टन क्षमता) शामिल है।

iii. यह उत्पाद सभी टैक्सटाइल यार्न में उत्पाद की प्रति यूनिट सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है।

138. इसमें शामिल प्रक्रिया के कारण फ्लेक्स यार्न का उत्पादन उच्च रोजगार प्रदान करने वाला है। यह सभी टैक्सटाइल यार्न में उत्पादन की प्रति यूनिट उच्चतम रोजगार प्रदान करता है। यह देखा गया है कि विनिर्माण के लिए 3 व्यक्ति/ मी. टन की आवश्यकता होती है।

139. इस उद्योग में भारी रोजगार का कारण फ्लेक्स यार्न बनाने में शामिल विस्तृत प्रक्रिया का होना है, जो किसी भी अन्य यार्न/फाइबर की कताई के विपरीत है। फ्लेक्स यार्न उद्योग द्वारा सृजित रोजगार वस्त्र और परिधान में डाउनस्ट्रीम उद्योग से उत्पन्न रोजगार से भी अधिक है जबकि वस्त्र उद्योग, यार्न की तुलना में 2/3 रोजगार पैदा करता है। परिधान उद्योग, यार्न उद्योग से उत्पन्न रोजगार का केवल 1/5 वां हिस्सा उत्पन्न करता है।

iv. मांग- आपूर्ति अंतराल पूरा करना

140. मूल जांच में उत्पाद में मांग आपूर्ति का महत्वपूर्ण अंतर था। जहां मूल जांच की जांच की अवधि में मांग 15,000 मी.टन थी, वहीं भारत में स्थापित क्षमता केवल 6438 मी.ट न थी, जबकि वर्तमान जांच की अवधि के समय तक मांग बढ़कर 20,688 मी. टन हो गई है, स्थापित क्षमता 20,410 मी. टन हो गई है। इस प्रकार,

लगाए गए शुल्कों के परिणामस्वरूप देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए क्षमताओं में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, नए घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए निवेश से मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा किया गया है। इस प्रकार अब देश उत्पाद में आत्मनिर्भर है।

v. उद्योग द्वारा किए गए अतिरिक्त निवेश को अनुचित व्यापार से संरक्षित किए जाने की जरूरत है।

141. भारतीय उद्योग ने इस क्षेत्र में 1500 करोड़ रु. का नया निवेश किया है। यह निवेश नए उत्पादकों द्वारा किया गया था। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्तमान जांच की अवधि में सबसे अच्छी थी। वर्तमान जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित ब्याज से पहले प्रति यूनिट लाभ को देखते हुए, यह देखा गया है कि नए निवेश 22% की वापसी अर्जित करने में सक्षम होंगे, यदि ये निवेश घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित ब्याज पहले, समान लाभ अर्जित करते हैं। जांच की अवधि के स्तरों से लाभप्रदता कोई भी कमी नए निवेश की प्रतिकूल लाभप्रदता का संकेत होगी। नए निवेश को पाटित आयातों से सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है, जो शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में तेजी से पुनः शुरू होने की संभावना है।

vi.भारतीय उद्योग संवेदनशील है।

142. भारतीय उद्योग भौतिक क्षति के प्रति संवेदनशील है, जैसा कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और भारतीय उद्योग द्वारा किए गए नए निवेश से स्पष्ट है। यह देखा गया है कि अकेले प्रतिक्रिया देने वाले चीनी उत्पादकों द्वारा पाटित की गई, क्षतिकारी और कीमत-आकर्षक बिक्री की मात्रा महत्वपूर्ण है और भारतीय मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राधिकरण ने पाया है कि चीन में ज्ञात उत्पादकों के पास स्थापित क्षमताएं 70,000 मीट्रिक टन के क्षेत्र में हैं, जबकि अकेले प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों द्वारा स्थापित क्षमताएं 34,500 मीट्रिक टन के क्षेत्र में हैं। इस प्रकार, प्रतिक्रिया देने वाले चीनी उत्पादकों द्वारा पाटित की गई, क्षतिकारी और कीमत-आकर्षक बिक्री की मात्रा पर विचार करते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि सभी चीनी उत्पादकों द्वारा डंप की गई, क्षतिकारी और कीमत-आकर्षक बिक्री की मात्रा कम से कम दोगुनी है। उत्तर देने वाले निर्यातक। यह संपूर्ण भारतीय मांग से काफी अधिक होगी। जबकि मौजूदा पाटन रोधी शुल्क ने चीनी उत्पादकों को अपनी मात्रा वर्तमान मात्रा से अधिक बढ़ाने से रोक दिया है, पाटन रोधी शुल्क से बाहर निकलने की समाप्ति से इन मात्राओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पाटन रोधी शुल्क

की समाप्ति की स्थिति में भारतीय उद्योग स्पष्ट रूप से क्षति के प्रति संवेदनशील है।

vii. चीन संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है।

143. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न लेखों और प्रकाशनों से यह पता चलता है कि चीन प्लेक्स यार्न का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। विश्व स्तर पर भारत और चीन संबद्ध वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में जाने जाते हैं। तथापि, चीन में स्थापित क्षमता 70,000 मी. टन निर्धारित की गई है, जबकि भारत में यह क्षमता 20,410 मी. टन है। इसके अलावा, जबकि भारत में मांग और आपूर्ति की स्थिति संतुलित है। चीन के उत्पादकों को अतिरिक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है।

viii. भारत चीन के लिए निर्यात का एक प्रमुख स्थान है।

144. भागीदार चीनी उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत को निर्यात इन कंपनियों के लिए वैश्विक निर्यात गंतव्य स्थानों में शीर्ष तीन में से एक है। इसके अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग चीन के घरेलू बाजार के बाद सबसे अधिक दिखाई देती है, इस प्रकार यह एक आकर्षक बाजार बन जाता है। किंगडम ग्रुप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारत एक प्रमुख बाजार है और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से ग्रुप के निर्यात में रुकावट आई है।

ix. उपभोक्ताओं पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं।

145. वर्ष 2017 में उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। किसी भी प्रयोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया है और अपेक्षित उत्तर दाखिल नहीं किए हैं। डाउनस्ट्रीम उत्पाद या अंतिम उपभोक्ता पर पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई भी साक्ष्य नहीं है। घरेलू उद्योग ने 0.73% से 2.8% के क्षेत्र में पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को निर्धारित किया है और तर्क दिया है कि उत्पाद की लागत किसी भी तरह से उपभोक्ताओं के लिए एक प्रमुख निवारक नहीं है। उपभोक्ता के लिए प्राथमिक लागत उत्पाद के लिए एक बार खरीद लागत के बजाय आवर्ती रखरखाव लागत है।

146. विचाराधीन उत्पाद प्रीमियम वस्त्र उत्पाद है। यह बड़े पैमाने पर समाज के उच्च आय वर्ग द्वारा ख़रीदा जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और उसके विश्लेषण से पता चलता है कि फ्लेक्स से बना परिधान, अन्य वस्त्रों से बने

उत्पाद के मूल्य बैंड पर उपलब्ध हो सकता है, फिर भी उच्च रखरखाव लागत के कारण लिनेन फैब्रिक से बना वस्त्र बड़े पैमाने पर जनता द्वारा पसंद नहीं किया जाता। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग बड़े पैमाने पर केवल उच्च आय वर्ग द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसकी उच्च रखरखाव लागत आती है।

147. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी पक्षकारों ने इसका खंडन नहीं किया है कि फ्लेक्स यार्न का उत्पादन सभी फैब्रिक यार्न में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। जब उत्पादन की प्रति इकाई के संदर्भ में इसे मापा जाता है।

148. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन की प्रति इकाई घरेलू उद्योग द्वारा निवेश 15 लाख/ मी. टन के क्षेत्र में है और पॉलिस्टर, विस्कोस, एक्रेलिक या अन्य मानव निर्मित फाइबर के अन्य यार्न की तुलना में यह बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद में उच्च रोजगार अन्य मानव निर्मित यार्न के विपरीत उत्पादन की प्रकृति के कारण से है।

ड. **निष्कर्ष**

149. जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, प्राधिकरण के समक्ष उठाए गए तर्कों, प्रस्तुतियों, प्रदान की गई जानकारी और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन जारी रहने/पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि:

i. एक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा बढ़ाया नहीं जा सकता और उसे मूल जांच की तरह ही रखा गया है । तद्नुसार, विचाराधीन उत्पाद को ''70 ली काउंट से कम का फ्लेक्स यार्न'' के रूप में परिभाषित किया गया है ।

ii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, मूल जांच के बाद से संबद्ध देश से आयात में गिरावट आई है, लेकिन घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारतीय मांग के के संदर्भ में सापेक्ष और निरपेक्ष संदर्भ में वृद्धि जारी रही ।

iii. पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का पहुंच मूल्य भारतीय कीमतों में कटौती कर रहा है, अत: घरेलू उद्योग केवल शुल्कों की मौजूदगी के कारण प्रतिस्पर्धा कर रहा है ।

iv. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के कारण घरेलू उद्योग संवेदनशील रहा है ।

v. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को इस अवस्था में बंद किया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना है । संभावना विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देश से भारत के अलावा तीसरे

देशों में संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण निर्यात पाटन और हानिकारक कीमतों पर है। और भारत में निर्यात करने के लिए महत्वपूर्ण मूल्य आकर्षण है क्योंकि तीसरे देशों की कीमत भारत की कीमत से कम है। यदि मौजूदा पाटनरोधी उपाय समाप्त हो जाता है तो ये कारक संचयी रूप से संबंधित देश से भारत में विषय वस्तु के निर्यात के विचलन की प्रबल संभावना का संकेत देते हैं।

vi. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव से घरेलू उत्पादकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है । पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा के लिए प्रयोक्ताओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद और यह बताने के लिए कि कैसे पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है । हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को स्थापित नहीं किया है ।

vii. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव काफी कम है । अत: यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान उपाय जारी रहने से देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है।

150. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने यह पाया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है और इसीलिए पाटनरोधी उपायों को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करते हैं ।

ढ. सिफारिशें

151. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन व क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था ।

152. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना के सकारात्मक साक्ष्य हैं । अत: प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे भी जारी रखने की जरूरत है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्दिष्ट

प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश करना उचित मानते हैं । तद्नुसार, चीन के उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क तालिका के अनुसार की जाती है ।

153. इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की पाटन और क्षति का संभावना को दूर किया जा सके । तद्नुसार, सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के सभी आयातों पर शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	**शीर्ष/ उप शीर्ष**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक/निर्यातक**	**राशि (अम.डॉ./ किलोग्राम**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	5306, 5306 1090, 5306 2010, 5306 2090, 5306 1010	70 लिया काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न (या 42 एनएम से नीचे)	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	जियांगशू जिनयुआन फ्लैक्स कं. लि./ झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कं. लि./ झेजियांग किंगडम लिनेन कं. लि.	2.42
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	यीजिंग सनसाइन लिनेन टेक्सटाइल कं. लि.	2.29
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 से 2 में उत्पादकों के अलावा कोई अन्य	4.83

* टिप्पणी: यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा ।

आगे की प्रक्रिया

154. इस सिफारिश के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ की जाने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी ।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी